



अनुक्रमणिका

पैरा सं.	विवरण
	अध्याय - I प्रारंभिक
1.	संक्षिप्त नाम और प्रारंभ
2.	प्रयोज्यता
3.	प्रयोजन
4.	परिभाषा/स्पष्टीकरण
	अध्याय - II प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत श्रेणियां और लक्ष्य
5.	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत श्रेणियां
6.	समायोजित निवल बैंक ऋण की गणना
7.	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के लिए लक्ष्य/उप-लक्ष्य
8.	पीएसएल उपलब्धि में भारांक हेतु समायोजन
	अध्याय - III प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत पात्र श्रेणियों का विवरण
9.	कृषि
10.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई)
11.	निर्यात ऋण
12.	शिक्षा
13.	आवास
14.	सामाजिक बुनियादी संरचना
15.	नवीकरणीय ऊर्जा
16.	अन्य
17.	कमज़ोर वर्ग
	अध्याय - IV विविध
18.	प्रतिभूतिकरण नोटों में बैंकों द्वारा निवेश
19.	सीधे एसाइनमेंट/आउटराइट खरीद के माध्यम से आस्तियों का अंतरण
20.	अंतर बैंक सहभागिता प्रमाणपत्र

21.	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार प्रमाणपत्र
22.	माइक्रो फाइनांस संस्थाओं (एनबीएफसी-एमएफआई, सोसायटी, ट्रस्ट आदि,) को आगे-उधार दिए जाने हेतु बैंक ऋण
23.	एनबीएफसी को आगे-उधार (ऑन-लेंडिंग) दिए जाने हेतु बैंक ऋण
24.	एचएफसी को आगे-उधार (ऑन-लेंडिंग) दिए जाने हेतु बैंक ऋण
24ए	एनसीडीसी को आगे-उधार (ऑन-लेंडिंग) देने के लिए बैंक द्वारा दिए गए ऋण
25.	आगे-उधार (ऑन-लेंडिंग) दिए जाने पर सीमा
26.	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा सह-उधार (को-लेंडिंग)
27.	COVID-19 उपायों के लिए पीएसएल की पात्रता
28.	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के लक्ष्यों की निगरानी रखना
29.	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्य प्राप्त न करना
30.	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को ऋण हेतु सामान्य दिशा-निर्देश
अनुबंध - I क: तुलनात्मक रूप से उच्च पीएसएल क्रेडिट वाले जिलों की सूची	
अनुबंध - I ख: तुलनात्मक रूप से कम पीएसएल क्रेडिट वाले जिलों की सूची	
अनुबंध - II: कृषि बुनियादी संरचना और संबद्ध कार्यक्रमों के तहत पात्र गतिविधियों की सांकेतिक सूची	
अनुबंध - III: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) द्वारा साझा की गई खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के तहत अनुमन्य गतिविधियों की सांकेतिक सूची	
अनुबंध - IIIक: प्राथमिकता क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र - योजना	
अनुबंध - IV: कोविड-19 उपाय- पीएसएल का निरूपण	
अनुबंध - V: प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र की उपलब्धि – कमी/अधिकता की गणना	
परिशिष्ट - समेकित परिपत्रों की सूची	



मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण) निदेश, 2025

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 21 और 35ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होने पर कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, एतद्वारा, इसके बाद विनिर्दिष्ट किए गए निदेश जारी करता है।

अध्याय – I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- 1.1 ये निदेश भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण) निदेश, 2025 कहलाएंगे।
- 1.2 यह निदेश 01 अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगे और इस विषय पर पहले के निदेशों, अर्थात् [भारतीय रिज़र्व बैंक \(प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण\) निदेश, 2020 \(संदर्भ विसिवि.केंका.प्लान.बीसी. 5/04.09.01/2020-21\) दिनांक 04 सितंबर 2020](#) (समय-समय पर अद्यतन) का स्थान लेंगे।

2. प्रयोज्यता

इन निदेशों के उपबंध, जब तक अन्यथा न कहा गया हो, प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक [क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), लघु वित्त बैंक (एसएफबी), स्थानीय क्षेत्र बैंक (एलएबी) सहित], और वेतनभोगियों के बैंक के अलावा प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) पर लागू होंगे।

3. प्रयोजन

ये निदेश बैंकिंग प्रणाली से अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों में ऋण का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं, जो सामाजिक-आर्थिक विकास में अपने योगदान के लिए महत्वपूर्ण हैं, तथा इनका ध्यान उन विशिष्ट क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिनकी ऋण आवश्यकताएं ऋण योग्य होने के बावजूद पूरी नहीं हो पाती हैं।

4. परिभाषा/स्पष्टीकरण

4.1 इन निदेशों में, जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, दिए गए शब्दों (टर्म्स) के अर्थ वही होंगे जो नीचे विनिर्दिष्ट हैं:

- (i) संबद्ध गतिविधियां अर्थात् कृषि से संबद्ध गतिविधियों में डेयरी, मत्स्य पालन, पशुपालन, मुर्गीपालन, मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन और इसी प्रकार की अन्य गतिविधियां शामिल होंगी।
- (ii) गैर-कॉर्पोरेट किसानों (एनसीएफ) में लघु और सीमांत कृषक¹(एसएमएफ) सहित व्यक्तिगत किसान, कृषि और संबद्ध गतिविधियों में सीधे तौर पर लगे किसानों की स्वामित्व वाली फर्म, और स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) या संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) यानी व्यक्तिगत किसानों का समूह शामिल होंगे, बशर्ते बैंक ऐसे ऋणों का अलग-अलग डेटा बनाए रखें।
- (iii) "आगे-उधार" का अर्थ है बैंकों द्वारा पात्र मध्यस्थों को आगे-उधार देने के लिए स्वीकृत ऋण। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र की परिसंपत्तियों के सृजन के लिए दिए गए ऐसे ऋण, जो ऐसी परिसंपत्तियों में ही नियोजित रहते हैं, पीएसएल के अंतर्गत वर्गीकरण के लिए पात्र होंगे।

4.2 यहाँ परिभाषित न की गई अन्य सभी अभिव्यक्तियों के आशय, यथास्थिति वही होंगे, जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 अथवा किसी अन्य सांविधिक संशोधन अथवा उनके पुनः अधिनियमन के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किये जाएँ अथवा वाणिज्यिक शब्दावली में प्रयुक्त हैं।

4.3 दिनांक 04 सितंबर 2020 (21 जून 2024 तक अद्यतन) के पीएसएल पर पूर्ववर्ती मास्टर निदेशों के तहत प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) के रूप में वर्गीकृत सभी ऋण मियाद पूरी होने तक इन निदेशों के तहत इस तरह के वर्गीकरण के लिए पात्र बने रहेंगे।

अध्याय – II

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत श्रेणियां एवं लक्ष्य

5. प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत श्रेणियां

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत श्रेणियां निम्नानुसार है:

- i. [कृषि](#)
- ii. [सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम \(एमएसएमई\)](#)
- iii. [निर्यात ऋण](#)
- iv. [शिक्षा](#)

¹ जैसा कि इस एम.डी. के पैरा 9.4 में परिभाषित किया गया है

- v. [आवास](#)
- vi. [सामाजिक बुनियादी संरचना](#)
- vii. [नवीकरणीय ऊर्जा](#)
- viii. [अन्य](#)

उपर्युक्त श्रेणियों के अंतर्गत पात्र गतिविधियों के ब्योरे [अध्याय III](#) में निर्दिष्ट किए गए हैं।

6. समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) की गणना

6.1 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के प्रयोजन के लिए, एएनबीसी की गणना निम्नानुसार की जाएगी:

भारत में बैंक ऋण (भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) के अंतर्गत फार्म 'ए' की मद सं. VI में यथा निर्धारित)	I
रिज़र्व बैंक तथा अन्य अनुमोदित वित्तीय संस्थाओं के पास पुनः भुनाए गए बिल	II
निवल बैंक ऋण (एएनबीसी)*	III(I-II)
प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी लक्ष्यों/उप-लक्ष्यों को न प्राप्त किए जाने के एवज में नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और मुद्रा लि. के पास रखी अन्य पात्र निधियाँ तथा आरआईडीएफ के अंतर्गत बकाया जमाराशियां + बकाया पीएसएलसी	IV
बुनियादी ढांचे और किफायती आवास के लिए दीर्घावधि बांड जारी करने पर छूट के लिए पात्र राशि, जैसा कि [भारतीय रिज़र्व बैंक (संसाधन जुटाने के मानदंड) निदेश, 2025, वाणिज्यिक बैंकों और लघु वित्त बैंकों पर लागू] ² के अनुसार निर्धारित है	V
भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 31 जनवरी 2014 के परिपत्र बैंपविवि.सं.आरआईटी.बीसी.93/12.01.001/2013-14 , दिनांक 6 फरवरी 2014 को जारी किया बैंपविवि मेलबॉक्स स्पष्टीकरण के साथ पठित दिनांक 14 अगस्त 2013 के परिपत्र बैंपविवि.सं.आरआईटी.बीसी.36/12.01.001/2013-14 तथा 11 जून 2014 के परिपत्र शबैवि.बीपीडी.(पीसीबी).परि.सं.72/13.01.000/2013-14 के साथ पठित दिनांक 27 अगस्त 2013 के परिपत्र शबैवि.बीपीडी.(पीसीबी).परि.सं.5/13.01.000/2013-14 के अनुसार ऐसी वृद्धिशील एफसीएनआर (बी)/एनआरई जमाराशियों के आधार पर भारत में प्रदत्त पात्र अग्रिम जो सीआरआर/एसएलआर अपेक्षाओं से छूट के योग्य हैं। ³	VI

² दिनांक 19 जनवरी 2026 के भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार - लक्ष्य और वर्गीकरण) (संशोधन) निदेश, 2026 द्वारा प्रतिस्थापित।

³ पात्र वृद्धिशील एफसीएनआर (बी)/एनआरई जमा से उत्पन्न संसाधनों से दिए गए वृद्धिशील अग्रिमों की गणना 7 मार्च 2014 (यूसीबी के मामले में 13 जून 2014) को भारत में बकाया अग्रिमों और आधार तारीख (26 जुलाई 2013) के बीच के अंतर के रूप में की जाती है। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र लक्ष्यों की गणना के लिए एएनबीसी से बाहर रखी जाने वाली राशि, उपर्युक्त परिपत्रों के अनुसार सीआरआर / एसएलआर के रखरखाव से छूट के लिए पात्र वृद्धिशील एफसीएनआर (बी) / एनआरई जमा से अधिक नहीं होगी। यदि बकाया राशि में अंतर शून्य या ऋणात्मक है, तो प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से एएनबीसी से कटौती के लिए कोई भी राशि पात्र नहीं होगी।

[दिनांक 19 जनवरी 2026 के भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार - लक्ष्य और वर्गीकरण) (संशोधन) निदेश, 2026 द्वारा सम्मिलित]

भारत सरकार द्वारा जारी किए गए पुनर्पूजीकरण बांड में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा किया गया निवेश	VII
अन्य निवेश जो प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के रूप में माना जा सके (जैसे कि प्रतिभूतिकरण नोटों में निवेश)	VIII
एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत गैर एसएलआर श्रेणी में बांड/डिबेंचर	IX
यूसीबी के लिए: 'हेल्ड टू मैच्योरिटी' (एचटीएम) श्रेणी के तहत रखे गए अनुमत गैर एसएलआर बॉन्ड में 30 अगस्त 2007 के बाद किया गया निवेश	X
एएनबीसी (यूसीबी के अलावा) III + IV - (V + VI + VII) + VIII + IX	
यूसीबी के लिए एएनबीसी III + IV - VI + X	

* केवल प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र की गणना के उद्देश्य से। बैंकों को एनबीसी से प्रावधानों, उपचित ब्याज आदि जैसी किसी भी राशि की कटौती/निवल नहीं करना चाहिए।

6.2 क्रेडिट इकुइवलेंट ऑफ ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर (सीईओबीएसई) की गणना के प्रयोजन के लिए, बैंक [भारतीय रिज़र्व बैंक \(वाणिज्यिक बैंक - संकेंद्रण जोखिम प्रबंधन\) निदेश, 2025](#) और [भारतीय रिज़र्व बैंक (पूँजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025, जैसा कि लघु वित्त बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर लागू होता है, द्वारा दिशानिर्देशित होंगे। स्थानीय क्षेत्र बैंकों के मामले में, तुलन पत्र से इतर मदों से जुड़े ऋण जोखिम की गणना के उद्देश्य से, बैंक [भारतीय रिज़र्व बैंक \(स्थानीय क्षेत्र बैंक - पूँजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड\) निदेश, 2025](#) का संदर्भ ले सकते हैं।⁴

6.3 एएनबीसी की गणना के लिए, पुराने ऋणों के संबंध में एसएफबी को आगे मार्गदर्शन [निम्नलिखित के अनुसार] दिया जाएगा:

- क. [भारतीय रिज़र्व बैंक \(लघु वित्त बैंक - लाइसेंसिंग\) दिशानिर्देश, 2025](#) के पैरा ग.10.33 में दिए गए प्रावधान उन मामलों पर लागू होंगे जहां कोई मौजूदा एनबीएफसी/एमएफआई एक एसएफबी की स्थापना करता है और अपने व्यवसाय को एसएफबी में स्थानांतरित करता है, रूपांतरण के मामलों को छोड़कर।
- ख. उधार देने वाले बैंकों को ऐसे एनबीएफसी को दिए गए ऋणों के लिए पीएसएल वर्गीकरण का लाभ उठाने की अनुमति होगी, बशर्ते कि ऐसे ऋणों से वित्तपोषित परिसंपत्तियां पीएसएल के लिए पात्र परिसंपत्तियां हों। उधार देने वाले बैंकों को यह छूट केवल एसएफबी के प्रारंभिक बैलेंस शीट में मौजूद अंतर्निहित परिसंपत्तियों द्वारा समर्थित वास्तविक बकाया राशि की सीमा तक और केवल अंतर्निहित ऋणों की चुकौती तक ही विस्तारित की जाएगी।

⁴ दिनांक 19 जनवरी 2026 के भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार- लक्ष्य और वर्गीकरण) (संशोधन) निदेश, 2026 द्वारा प्रतिस्थापित।

- ग. बैंकों से लिए गए उपरोक्त ऋणों से वित्तपोषित संपत्तियों को एसएफबी के लिए प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र की गणना हेतु एएनबीसी में शामिल नहीं किया जाएगा, उस हद तक जहां तक उधार देने वाले बैंक को ऐसे पुराने ऋणों पर पीएसएल का दर्जा प्राप्त है।
- घ. ऐसे बकाया पुराने उधारों से निर्मित कोई भी नई परिसंपत्ति या परिचालन शुरू होने के बाद एसएफबी द्वारा निर्मित कोई भी नई परिसंपत्ति, सामान्य तौर पर, एसएफबी के एएनबीसी में गिनी जाएगी और एसएफबी पर लागू होने वाले पीएसएल मानदंड लागू होंगे।
- ङ. उपर्युक्त प्रतिपादन परिवर्तित संस्थाओं के मामलों में पुराने ऋणों पर भी लागू होगा।
- च. एसएफबी के परिचालन शुरू होने के बाद 31 मार्च को जारी की गई पहली लेखा परीक्षित बैलेंस शीट, एसएफबी के पहले पीएसएल लक्ष्य का आधार बनेगी (अगले वर्ष के लिए)।⁵

6.4 उपरोक्त रूप से निवल बैंक ऋण की गणना करते समय, यदि बैंक कारपोरेट/प्रधान कार्यालय स्तर पर विवेकसम्मत बट्टे खाते में डाली गई राशि को घटाते हैं, तो ऐसे मामलों में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र और अन्य सभी उप क्षेत्रों को बैंक ऋण जो इस प्रकार बट्टे खाते डाला गया हो, को भी प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र और उप-लक्ष्य की प्राप्ति में से श्रेणी-वार घटाया जाना चाहिए। निवेश अथवा ऐसी अन्य मदें जिन्हें प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र लक्ष्य/उप-लक्ष्य उपलब्धि के अंतर्गत वर्गीकरण के लिए पात्र माना गया हो, समायोजित निवल बैंक ऋण का भी एक भाग होना चाहिए।

6.5 सभी बैंकों को विनियमन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, द्वारा जारी संबंधित लाइसेंसिंग और परिचालन दिशानिर्देशों, समय-समय पर अद्यतन, का पालन करना होगा।

7. प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के लिए लक्ष्य/उप-लक्ष्य

7.1 प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य और उप-लक्ष्य, जिनकी गणना पिछले वर्ष की संबंधित तिथि को लागू एएनबीसी/सीईओबीएसई⁶ के आधार पर की जाएगी, निम्नानुसार हैं:

श्रेणी	घरेलू वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी एसएफबी को छोड़कर) एवं 20 और उससे	20 से कम शाखाओं वाले विदेशी बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	लघु वित्त बैंक
--------	---	----------------------------------	------------------------	----------------

⁵ दिनांक 19 जनवरी 2026 के भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण) (संशोधन) निदेश, 2026 द्वारा प्रतिस्थापित।

⁶ (i) आकस्मिक देयताएं/ऑफ-बैलेंस शीट की मदें प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र की उपलब्धि का हिस्सा नहीं हैं। तथापि, 20 से कम शाखाओं वाले विदेशी बैंकों के पास प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पात्र प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र गतिविधियों के लिए उधारकर्ताओं को विस्तारित सीईओबीएसई को मानने का विकल्प है, बशर्ते कि सीईओबीएसई (अंतर बैंक ऋण को छोड़कर प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र और गैर-प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र दोनों) को पीएसएल लक्ष्यों की गणना के लिए हर में एएनबीसी में जोड़ा जाएगा।

(ii) प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्यों के लिए सीईओबीएसई की गणना करने हेतु ऑफ-बैलेंस शीट अंतर-बैंक एक्सपोजर को बाहर रखा जाता है।

	अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंक			
कुल प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र	ऊपर पैरा 6 में की गई गणना के अनुसार समायोजित निवल बैंक ऋण का या सीईओबीएसई का 40 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो।	ऊपर पैरा 6 में की गई गणना के अनुसार समायोजित निवल बैंक ऋण का या सीईओबीएसई का 40 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो; जिसमें से 32 प्रतिशत तक के ऋण निर्यात ऋण के रूप में हो सकता है तथा किसी अन्य प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के लिए ऋण 8 प्रतिशत से कम नहीं हो सकता है।	ऊपर पैरा 6 में की गई गणना के अनुसार समायोजित निवल बैंक ऋण का या सीईओबीएसई, का 75 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो; तथापि, मध्यम उद्यम, सामाजिक बुनियादी संरचना तथा नवीकरणीय ऊर्जा को दिए गए उधार में से प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र की उपलब्धि की गणना हेतु एएनबीसी के 15 प्रतिशत पर ही विचार किया जाएगा।	उपर्युक्त पैरा 6 में गणना के अनुसार एएनबीसी का या सीईओबीएसई का [60] ⁷ प्रतिशत, जो भी अधिक हो।
कृषि	एएनबीसी का या सीईओबीएसई का 18 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो, इस लक्ष्य में गैर-कॉर्पोरेट किसानों (एनसीएफ) के लिए 14 प्रतिशत निर्धारित है, जिसमें से एसएमएफ के लिए 10 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित है।	लागू नहीं	एएनबीसी का या सीईओबीएसई का 18 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो; इस लक्ष्य में एनसीएफ के लिए 14 प्रतिशत निर्धारित है, जिसमें से एसएमएफ के लिए 10 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित है।	एएनबीसी का या सीईओबीएसई का 18 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो; इस लक्ष्य में एनसीएफ के लिए 14 प्रतिशत निर्धारित है, जिसमें से एसएमएफ के लिए 10 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित है।
माइक्रो उद्यम	एएनबीसी का या सीईओबीएसई का 7.5 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो;	लागू नहीं	एएनबीसी का या सीईओबीएसई का 7.5 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो;	एएनबीसी का या सीईओबीएसई का 7.5 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो;
कमज़ोर वर्गों को अग्रिम	एएनबीसी का या सीईओबीएसई का 12 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो;	लागू नहीं	एएनबीसी का या सीईओबीएसई का 15 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो;	एएनबीसी का या सीईओबीएसई का 12 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो;

7.2 शहरी सहकारी बैंकों के लिए प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार के लक्ष्य निम्नानुसार होंगे:

श्रेणियाँ	एएनबीसी या सीईओबीएसई के प्रतिशत के रूप में लक्ष्य, जो भी अधिक हो
कुल प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र	60%
माइक्रो उद्यम	7.5%
कमज़ोर वर्गों को अग्रिम	12%

⁷ दिनांक 19 जनवरी 2026 के भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण) (संशोधन) निदेश, 2026 द्वारा प्रतिस्थापित।

8. पीएसएल उपलब्धि में भारांक के लिए समायोजन

8.1 जिला स्तर पर प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र संबंधी ऋण के प्रवाह में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए, यह निर्णय लिया गया था कि प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अनुसार प्रति व्यक्ति ऋण प्रवाह के आधार पर जिलों की रैंकिंग की जाए तथा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण के संबंध में तुलनात्मक रूप से कम प्रवाह वाले जिलों के लिए प्रोत्साहन ढाँचे का निर्माण और तुलनात्मक रूप से उच्च प्रवाह वाले जिलों के लिए अवप्रेरण ढाँचे का निर्माण किया जाए। ऐसे चिन्हित जिले, जहां ऋण प्रवाह तुलनात्मक रूप से कम है (प्रति व्यक्ति पीएसएल रु.9000 से कम), में वृद्धिशील प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण को उच्च भारांक (125%) दिया जाएगा तथा ऐसे चिन्हित जिले, जहां ऋण प्रवाह तुलनात्मक रूप से अधिक है (प्रति व्यक्ति पीएसएल रु.42000 से अधिक), में वृद्धिशील प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण को कम भारांक (90%) दिया जाएगा, यह वित्त वर्ष 2024-25 से प्रभावी होगा। दोनों तरह के जिलों की श्रेणीवार सूची [अनुबंध-1 क](#) और [1-ख](#) में प्रस्तुत है और वित्त वर्ष 2026-27 तक की अवधि के लिए मान्य होगी, उसके बाद समीक्षा की जाएगी। अनुबंध-1 क और 1-ख में उल्लिखित जिलों के अलावा अन्य जिलों में 100% का सामान्य भारांक जारी रहेगा।

8.2 बैंकों को तिमाही प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों (क्यूपीएसए) रिटर्न, अबतक किए गए अनुसार, में वास्तविक बकाया राशि की रिपोर्ट को जारी रखना चाहिए। एडीईपीटी (एडेए) डेटाबेस के माध्यम से विसविवि, केंका, को जिलेवार क्रेडिट प्रवाह की रिपोर्टिंग के आधार पर आरबीआई द्वारा वृद्धिशील पीएसएल क्रेडिट के लिए समायोजन किया जाएगा। आरआरबी, यूसीबी, एलएबी और विदेशी बैंकों (पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक कंपनी सहित) को वर्तमान में उनके सीमित परिचालन क्षेत्र/कम खंड में सेवा प्रदान करने के कारण पीएसएल उपलब्धि में भारांक के समायोजन से छूट दी जाएगी।

अध्याय – III

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत पात्र श्रेणियों का विवरण

9. कृषि

कृषि क्षेत्र को उधार में कृषि ऋण (कृषि और संबद्ध गतिविधियां), कृषि बुनियादी संरचना और संबद्ध गतिविधियों को उधार शामिल है।

9.1 कृषि ऋण

क. कृषि ऋण - व्यक्तिगत किसान

इस श्रेणी में व्यक्तिगत किसानों [स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) या संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) अर्थात् व्यक्तिगत किसानों के समूह, बशर्ते बैंक ऐसे ऋणों का अलग-अलग डेटा बनाए रखें] और किसानों की स्वामित्व

वाली फर्मों को दिए गए ऋण शामिल हैं, जो सीधे कृषि और संबद्ध गतिविधियों में लगे हुए हैं। ऐसे ऋणों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- i. फसल ऋण जिसमें पारंपरिक/गैर-पारंपरिक बागान, बागबानी तथा संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण शामिल हैं।
- ii. कृषि और उससे संबद्ध कार्यकलापों के लिए मध्यावधि और दीर्घावधि ऋण (अर्थात् कृषि उपकरणों और मशीनरी की खरीद तथा संबद्ध कार्यकलापों के लिए विकासात्मक ऋण)।
- iii. फसल काटने से पूर्व और फसल काटने के बाद के कार्यकलापों जैसे छिड़काव, फसल कटाई, श्रेणीकरण (ग्रेडिंग), तथा स्वयं के फार्म की उपज के परिवहन के लिए ऋण।
- iv. गैर संस्थागत उधारदाताओं के प्रति ऋणग्रस्त आपदाग्रस्त किसानों को ऋण।
- v. किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत ऋण।
- vi. कृषि प्रयोजन हेतु जमीन खरीदने के लिए छोटे और सीमांत किसानों को ऋण।
- vii. एनडब्ल्यूआर/ई-एनडब्ल्यूआर के बदले रु.90 लाख तक की सीमा के अधीन 12 माह से अनधिक अवधि के लिए कृषि उपज (गोदाम रसीदों सहित) को गिरवी/दृष्टिबंधक रखकर ऋण और एनडब्ल्यूआर/ई-एनडब्ल्यूआर के अलावा अन्य गोदाम रसीदों के बदले रु.60 लाख तक की सीमा का ऋण।
- viii. किसानों को स्टैंड-अलोन सौर कृषि पंपों की स्थापना और ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों के सोलराइजेशन के लिए ऋण।
- ix. बंजर/परती भूमि पर या किसान के स्वामित्व वाली कृषि भूमि पर स्टिल्ट फैशन के रूप में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए किसानों को ऋण।

ख. कृषि ऋण - कारपोरेट किसानों, किसानों के कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ)/(एफपीसी), अलग-अलग किसानों की कंपनियों, साझेदारी फर्मों तथा कृषि और उससे संबद्ध कार्यकलापों से जुड़ी सहकारी संस्थाएं:

(1) निम्नलिखित गतिविधियों के लिए ऋण, प्रति उधारकर्ता इकाई ₹4 करोड़ की कुल सीमा के अधीन, पात्र होंगे:

- (i) किसानों को फसल ऋण जिसमें पारंपरिक/गैर-पारंपरिक बागान, बागबानी तथा संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण शामिल होंगे।
- (ii) कृषि और उससे संबद्ध कार्यकलापों के लिए मध्यावधि और दीर्घावधि ऋण (अर्थात् कृषि उपकरणों, तकनीकी समाधान और मशीनरी की खरीद तथा संबद्ध कार्यकलापों के लिए विकासात्मक ऋण)।

(iii) फसल काटने से पूर्व और फसल काटने के बाद के कार्यकलापों जैसे छिड़काव, फसल कटाई, श्रेणीकरण (ग्रेडिंग), तथा स्वयं के फार्म की उपज के परिवहन के लिए ऋण।

(2) एनडब्ल्यूआर/ई-एनडब्ल्यूआर के बदले 12 माह से अनधिक अवधि के लिए कृषि उपज (गोदाम रसीदों सहित) को गिरवी/दृष्टिबंधक रखकर ₹4 करोड़ तक के ऋण और एनडब्ल्यूआर/ई-एनडब्ल्यूआर के अलावा अन्य गोदाम रसीदों के बदले ₹2.5 करोड़ तक के ऋण।

(3) पूर्व-निर्धारित मूल्य पर अपनी उपज के सुनिश्चित विपणन के साथ एफपीओ/एफपीसी के प्रति उधारकर्ता इकाई को ₹10 करोड़ तक का ऋण।

(4) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में प्रत्यक्ष रूप से लगे सदस्यों की उपज की खरीद के लिए ₹10 करोड़ तक का ऋण।

नोट: शहरी सहकारी बैंकों को किसानों की सहकारी समितियों को ऋण देने की अनुमति नहीं है।

9.2 कृषि बुनियादी संरचना

बैंकिंग प्रणाली से कृषि बुनियादी संरचना के लिए प्रति उधारकर्ता की कुल स्वीकृत सीमा में ऋण ₹100 करोड़ के अधीन होगी। गतिविधियों की सूची [अनुबंध II](#) (मद I) में दी गई है।

9.3 संबद्ध कार्यकलाप

निम्नलिखित इस श्रेणी में वर्गीकृत होने के पात्र होंगे:

- i. [अनुबंध II](#) (मद 2) में निर्दिष्ट ऋण।
- ii. कृषि एवं संबद्ध सेवाओं से जुड़े स्टार्ट-अप्स⁸ को 50 करोड़ रुपये तक का ऋण।
- iii. खाद्यान्न तथा एग्रो प्रसंस्करण के लिए बैंकिंग प्रणाली से प्रति उधारकर्ता ₹100 करोड़ की समग्र स्वीकृत सीमा तक के ऋण ([अनुबंध III](#) में दी गई पात्र गतिविधियाँ)।
- iv. [*****]⁹
- v. प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र की कमी के कारण नाबार्ड के पास आरआईडीएफ और अन्य पात्र निधियों के अंतर्गत बकाया जमा

⁸ वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यथा-परिभाषित

⁹ दिनांक 19 जनवरी 2026 के भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण) (संशोधन) निदेश, 2026 द्वारा हटाया गया।

9.4 लघु एवं सीमांत किसानों (एसएमएफ) को ऋण देने के लिए वर्गीकरण हेतु पात्रता मानदंड

उप-लक्ष्य की उपलब्धि की गणना के उद्देश्य से, लघु और सीमांत किसानों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- i. 1 हेक्टेयर तक के भूधारक किसान (सीमांत किसान) ।
- ii. 1 हेक्टेयर से अधिक परंतु 2 हेक्टेयर तक के भूधारक किसान (लघु किसान) ।
- iii. भूमिहीन कृषि श्रमिक, काश्तकार, मौखिक पट्टेदार तथा बंटाईदार जिनकी भू-धारिता का अंश लघु और सीमांत किसानों के लिए निर्धारित सीमाओं के भीतर है।
- iv. स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) या संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) अर्थात् कृषि तथा उससे संबद्ध कार्यकलापों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े अलग-अलग लघु और सीमांत किसानों के समूहों को ऋण, बशर्ते बैंक ऐसे ऋणों का अलग से ब्योरा रखते हों।
- v. ₹2.5 लाख तक के ऋण केवल उन लोगों के लिए है जो किसी भी भूधारक मानदंड के बिना संबद्ध गतिविधियों में संलग्न हैं।
- vi. पैरा 9.1 (ख) में निर्धारित ऋण सीमा के अधीन, अलग-अलग किसानों की एफपीओ/पीएफसी तथा कृषि और उससे संबद्ध कार्यकलापों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी किसानों की सहकारी संस्थाओं को ऋण, जहां लघु और सीमांत किसानों की भू-धारिता का शेयर 75 प्रतिशत से कम न हो। यूसीबी को किसानों की सहकारी समितियों को ऋण देने की अनुमति नहीं है।

नोट: शहरी सहकारी बैंकों को किसानों की सहकारी समितियों को ऋण देने की अनुमति नहीं है।

9.5 कृषि में आगे-उधार दिए जाने हेतु एनबीएफसी और एमएफआई को बैंकों द्वारा ऋण

(i) व्यक्तियों और एसएचजी/जेएलजी के सदस्यों को आगे-उधार दिये जाने हेतु पंजीकृत एनबीएफसी-एमएफआई और अन्य एमएफआई (सोसायटी, ट्रस्ट इत्यादि) को विस्तारित किया गया बैंक ऋण, जो इस क्षेत्र के लिए आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त एसआरओ के सदस्य हैं, पैरा 22 में निर्दिष्ट शर्तों (आरआरबी, यूसीबी, एसएफबी और एलएबी के लिए लागू नहीं) के अधीन कृषि की संबंधित श्रेणियों के तहत प्राथमिकता-प्राप्त को उधार के रूप में वर्गीकरण के लिए पात्र होंगे।

(ii) कृषि के तहत 'मियादी ऋण' घटक के लिए पैरा 23 और 25 (आरआरबी, यूसीबी, एसएफबी और एलएबी पर लागू नहीं) में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन पंजीकृत एनबीएफसी (एमएफआई के अलावा) को आगे-उधार दिये जाने हेतु प्रति उधारकर्ता रु.10 लाख तक के बैंक ऋण की अनुमति दी जाएगी।

नोट: पैरा 9.5 के प्रावधान आरआरबी, यूसीबी, एसएफबी और एलएबी पर लागू नहीं होंगे।

10. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)

- (i) एमएसएमई की परिभाषा [दिनांक 24 जुलाई 2017 को जारी विसिविवि.एमएसएमई और एनएफएस.12/06.02.31/2017-18](#), जिसे समय-समय पर अद्यतन किया जाता है, में दी गई परिभाषा के अनुसार होगी।
- (ii) एमएसएमई को दिए जाने वाले सभी बैंक ऋण प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार के अंतर्गत वर्गीकरण के लिए अर्ह होंगे।

- (iii) एमएसएमई की परिभाषा के अनुरूप स्टार्ट-अप्स¹⁰ को 50 करोड़ रुपये तक के ऋण भी इस श्रेणी में वर्गीकृत होने के पात्र होंगे।

10.1 फैक्ट्रिंग लेनदेन

(i) बैंकों, जिनसे फैक्ट्रिंग कारोबार विभागीय रूप से होता है, द्वारा 'दायित्व सहित' आधार पर किए जाने वाले फैक्ट्रिंग लेनदेन, जहां फैक्ट्रिंग लेनदेन में 'समनुदेशक' (असाईनर) सूक्ष्म, लघु अथवा मध्यम उद्यम हो, रिपोर्टिंग तारीख को एमएसएमई श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है।

(ii) ट्रेड रिसिवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरडीडीएस) के माध्यम से किए जाने वाले एमएसएमई से संबंधित फैक्ट्रिंग लेनदेन भी प्राथमिकता- प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकरण के लिए पात्र होंगे।

नोट: पैरा 10.1 के प्रावधान आरआरबी और यूसीबी पर लागू नहीं हैं

10.2 एमएसएमई श्रेणी में पीएसएल के अंतर्गत वर्गीकृत होने के लिए पात्र अन्य ऋण

इसमें शामिल है:

- (i) खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र की इकाइयों को दिए जाने वाले सभी ऋण, जिन्हें सूक्ष्म उद्यमों को दिए जाने वाले ऋण के रूप में वर्गीकृत किया जाए।
- (ii) काश्तकारों, ग्राम और कुटीर उद्योगों को निविष्टियों की आपूर्ति और उनके उत्पादन के विपणन के विकेंद्रीकृत सेक्टर को सहायता प्रदान करने में निहित संस्थाओं को ऋण।
- (iii) विकेंद्रित क्षेत्र अर्थात् काश्तकार, ग्राम और कुटीर उद्योग में उत्पादकों की सहकारी समितियों को ऋण (यूसीबी के लिए लागू नहीं)।
- (iv) [*****]¹¹
- (v) बैंकों द्वारा एनबीएफसी-एमएफआई और अन्य एमएफआई (सोसायटी, ट्रस्ट, आदि) को ऋण, जो कि इस क्षेत्र के लिए आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त एसआरओ के सदस्य हैं, एमएसएमई क्षेत्र को आगे-उधार देने के लिए, इन मास्टर निदेशों के पैराग्राफ 22 में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार उधारकर्ता व्यक्ति और एसएचजी/जेएलजी के सदस्य होंगे (आरआरबी, एसएफबी और यूसीबी पर लागू नहीं)।
- (vi) इन मास्टर निदेशों के पैरा 23 में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार सूक्ष्म और लघु उद्यमों को आगे-उधार देने के लिए पंजीकृत एनबीएफसी (एमएफआई के अलावा) को प्रति उधारकर्ता 20 लाख रुपये तक का ऋण (आरआरबी, एसएफबी और यूसीबी पर लागू नहीं)
- (vii) वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग, द्वारा समय-समय पर निर्धारित शर्तों एवं सीमाओं के अनुसार प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) खाताधारकों के लिए ओवरड्राफ्ट, जिसे सूक्ष्म उद्यमों को ऋण देने के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
- (viii) प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र में कमी के कारण सिडबी और मुद्रा लि. के पास बकाया जमाराशियां।

¹⁰ वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यथा-परिभाषित

¹¹ दिनांक 19 जनवरी 2026 के भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण) (संशोधन) निदेश, 2026 द्वारा हटाया गया।

11. निर्यात ऋण

- (i) निर्यात ऋण पर [भारतीय रिज़र्व बैंक (ऋण सुविधाएँ) निदेश, 2025, जो वाणिज्यिक बैंकों, लघु वित्त बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों पर लागू हैं] में परिभाषित अनुसार पोतलदान-पूर्व और पोतलदानोत्तर निर्यात ऋण (तुलन पत्र से इतर मदों को छोड़कर) शामिल है।¹²
- (ii) कृषि और एमएसएमई को निर्यात ऋण संबंधित श्रेणियों में [और उसमें उल्लिखित कुल सीमाओं के अधीन] पीएसएल के रूप में वर्गीकरण के लिए पात्र होगा।¹³
- (iii) निर्यात ऋण (कृषि और एमएसएमई के अंतर्गत वर्गीकृत ऋण को छोड़कर) निम्नलिखित तालिका के अनुसार प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार के रूप में वर्गीकरण के लिए पात्र होंगे:

घरेलू बैंक/विदेशी बैंकों के डब्ल्यूओएस/एसएफबी/यूसीबी	20 और उससे अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंक	20 से कम शाखाओं वाले विदेशी बैंक
प्रति उधारकर्ता स्वीकृत सीमा ₹50 करोड़ की शर्त के अधीन वृद्धिशील निर्यात ऋण, जो पूर्ववर्ती वर्ष की तदनुसूची तारीख को विद्यमान निर्यात ऋण से अधिक है, एएनबीसी अथवा सीईओबीएसई के 2 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो।	वृद्धिशील निर्यात ऋण, जो पूर्ववर्ती वर्ष की तदनुसूची तारीख को विद्यमान निर्यात ऋण से अधिक है, एएनबीसी अथवा सीईओबीएसई के 2 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो।	एएनबीसी अथवा सीईओबीएसई के 32 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो, तक का निर्यात ऋण।

नोट: पैरा 11 के प्रावधान आरआरबी और एलएबी पर लागू नहीं हैं।

12. शिक्षा

व्यावसायिक पाठ्यक्रम सहित शैक्षिक उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों को ₹25 लाख तक के ऋण, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के वर्गीकरण के लिए पात्र माना जाएगा।

13. आवास

13.1. आवास क्षेत्र को दिये गए बैंक ऋण निम्न निर्धारित सीमा के अनुसार प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकरण के लिए पात्र हैं:

- i. प्रति परिवार निवासी यूनिट की खरीद/निर्माण के लिए व्यक्तियों को ऋण निम्नलिखित सीमाओं के अधीन होंगे:

¹² दिनांक 19 जनवरी 2026 के भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण) (संशोधन) निदेश, 2026 द्वारा प्रतिस्थापित।

¹³ दिनांक 19 जनवरी 2026 के भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण) (संशोधन) निदेश, 2026 द्वारा सम्मिलित।

(राशि ₹ लाख रुपए में)

श्रेणी	ऋण सीमा#	निवासी यूनिट की अधिकतम लागत#
50 लाख और उससे अधिक की आबादी वाले केंद्र	50	63
10 लाख और उससे अधिक लेकिन 50 लाख से कम की आबादी वाले केंद्र	45	57
10 लाख से कम की आबादी वाले केंद्र	35	44

#पात्र होने के लिए, ऋण को दोनों मानदंडों को पूरा करना होगा

- ii. बैंक द्वारा अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले आवास ऋण प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकरण के लिए पात्र नहीं होंगे।
- iii. दीर्घावधि बांड द्वारा समर्थित आवास ऋणों को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जाएगा, क्योंकि उन्हें एएनबीसी में शामिल करने से छूट दी गई है। 1 अप्रैल 2007 को या उसके बाद एनएचबी/हुडको द्वारा जारी बांडों में यूसीबी द्वारा किए गए निवेश प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के लिए वर्गीकरण हेतु पात्र नहीं होंगे।

- 13.2.** क्षतिग्रस्त निवासी यूनिटों की मरम्मत के लिए ऋण निम्नलिखित सीमाओं के अधीन प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र वर्गीकरण के लिए पात्र होंगे:

(राशि ₹ लाख रुपए में)

श्रेणी	ऋण सीमा#	निवासी यूनिट की अधिकतम लागत#
50 लाख और उससे अधिक की आबादी वाले केंद्र	15	63
10 लाख और उससे अधिक लेकिन 50 लाख से कम की आबादी वाले केंद्र	12	57
10 लाख से कम की आबादी वाले केंद्र	10	44

#पात्र होने के लिए, ऋण को दोनों मानदंडों को पूरा करना होगा

- 13.3.** 60 वर्ग मीटर तक के कारपेट क्षेत्र वाले निवासी यूनिटों के अधीन, किसी सरकारी एजेंसी को निवासी यूनिटों के निर्माण अथवा गंदी बस्ती हटाने और गंदी बस्ती में रहनेवालों के पुनर्वास के लिए बैंक ऋण।

13.4. कम से कम 50% एफएआर/एफएसआई का उपयोग करने वाले ऐसे किफायती आवास परियोजनाओं के लिए बैंक ऋण उन निवासी यूनिट के लिए जिनका कारपेट क्षेत्र 60 वर्ग मीटर से अधिक न हो।

13.5. प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र में कमी के कारण एनएचबी के पास रखी बकाया जमाराशियां।

[नोट: जनसंख्या आधारित वर्गीकरणों के अनुपालन का निर्धारण करने के लिए बैंक जनगणना 2011 की तालिका "ए-04" में दिए गए 'शहरी समूह' (यू.ए.)/ कस्बों के स्तर पर जनसंख्या का संदर्भ ले सकते हैं। गांवों/ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित संपत्तियों के लिए आवास ऋण (जो जनगणना 2011 की तालिका ए-04 का हिस्सा नहीं हैं) के संबंध में, "10 लाख से कम जनसंख्या वाले केंद्रों" के अनुसार ऋण सीमा का पालन किया जा सकता है।]¹⁴

14. सामाजिक बुनियादी संरचना

नीचे दी गई सीमा के अनुसार सामाजिक बुनियादी संरचना क्षेत्र को दिये गए बैंक ऋण प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र हेतु वर्गीकरण के लिए पात्र हैं।

14.1. स्कूल, पेयजल सुविधाएं और स्वच्छता सुविधाएं स्थापित करने के लिए प्रति उधारकर्ता 8 करोड़ रुपये की सीमा तक का ऋण, जिसमें घरेलू शौचालयों का निर्माण/नवीनीकरण और घरेलू स्तर पर जल सुधार आदि शामिल हैं।

14.2. टियर II से टियर VI केंद्रों में स्वास्थ्य देखभाल की सुविधाओं के निर्माण के लिए प्रति उधारकर्ता ₹12 करोड़ तक का ऋण। शहरी सहकारी बैंकों के मामले में, समकक्ष केंद्र वे हैं [जिनकी जनसंख्या 1 लाख से कम है]।¹⁵

14.3. इन मास्टर निदेशों के पैरा 22 में निर्धारित मानदंड के अधीन जल और स्वच्छता सुविधाओं के लिए व्यक्तियों और एसएचजी/जेएलजी के सदस्यों को भी आगे-उधार देने के लिए माइक्रो वित्त संस्थाओं (एमएफआई) को दिया गया ऋण (आरआरबी, यूसीबी और एसएफबी के अलावा)।

14. नवीकरणीय ऊर्जा

नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत जनरेटर और नवीकरणीय ऊर्जा आधारित सार्वजनिक उपयोगिताओं जैसे स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम, दूरदराज के गांवों में विद्युतीकरण आदि के लिए उधारकर्ताओं को 35 करोड़ रुपये तक का बैंक ऋण, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र वर्गीकरण के लिए पात्र होंगे। अलग-अलग परिवारों के लिए, प्रति उधारकर्ता ₹10 लाख की ऋण सीमा होगी।

16. अन्य

निर्धारित सीमा तक निम्नलिखित ऋण प्राथमिकता क्षेत्र वर्गीकरण के लिए पात्र हैं:

¹⁴ दिनांक 19 जनवरी 2026 के भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण) (संशोधन) निदेश, 2026 द्वारा सम्मिलित।

¹⁵ दिनांक 19 जनवरी 2026 के भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण) (संशोधन) निदेश, 2026 द्वारा प्रतिस्थापित।

- i. [सूक्ष्म वित्त]¹⁶ [भारतीय रिज़र्व बैंक (ऋण सुविधाएँ) निदेश, 2025, जो वाणिज्यिक बैंकों, लघु वित्त बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों पर लागू होते हैं]¹⁷ में निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले एसएचजी/जेएलजी के व्यक्तियों और व्यक्तिगत सदस्यों को बैंकों द्वारा सीधे प्रदान किए गए ऋण।
- ii. कृषि या एमएसएमई के अलावा अन्य गतिविधियों, जैसे सामाजिक जरूरतों को पूरा करने, घर के निर्माण या मरम्मत, शौचालयों के निर्माण या एसएचजी द्वारा शुरू की गई किसी भी व्यवहार्य सामान्य गतिविधि के लिए एसएचजी/जेएलजी को बैंकों द्वारा प्रदान किए गए ₹2.00 लाख से अनधिक ऋण।
- iii. आपदाग्रस्त व्यक्तियों [आपदाग्रस्त किसानों के अलावा गैर-संस्थागत ऋणदाताओं के ऋणी] को उनके गैर संस्थागत ऋणदाताओं के कर्ज की पूर्व अदायगी के लिए प्रति उधारकर्ता ₹1 लाख से अनधिक के ऋण।
- iv. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य प्रायोजित संगठनों को इन संगठनों के लाभार्थियों को निविष्टियों की खरीद और आपूर्ति और/या उनके उत्पादनों के विपणन के विशिष्ट प्रयोजन के लिए स्वीकृत ऋण।
- v. कृषि या एमएसएमई के अलावा अन्य गतिविधियों में लगे स्टार्ट-अप¹⁸ को 50 करोड़ रुपये तक का ऋण

17. कमज़ोर वर्ग

17.1 निम्नलिखित उधारकर्ताओं को दिए जाने वाले प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण कमज़ोर वर्गों की श्रेणी के अंतर्गत शामिल है (अतिव्यापी श्रेणी):

(i)	छोटे और सीमान्त किसान
(ii)	काश्तकार, ऐसे ग्रामीण और कुटीर उद्योग जिनकी व्यक्तिगत ऋण सीमा ₹2 लाख से अधिक न हो
(iii)	सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), [****] ¹⁹ और स्वच्छकारों की पुनर्वास के लिए स्व-रोजगार योजना (एसआरएमएस) के अंतर्गत लाभार्थी
(iv)	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियां
(v)	विभेदक ब्याज दर (डीआरआई) योजना के लाभार्थी

¹⁶ दिनांक 19 जनवरी 2026 के भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण) (संशोधन) निदेश, 2026 द्वारा सम्मिलित।

¹⁷ दिनांक 19 जनवरी 2026 के भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण) (संशोधन) निदेश, 2026 द्वारा प्रतिस्थापित।

¹⁸ वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यथा-परिभाषित

¹⁹ दिनांक 19 जनवरी 2026 के भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण) (संशोधन) निदेश, 2026 द्वारा हटाया गया।

(vi)	स्वयं सहायता समूह/संयुक्त देयता समूह
(vii)	ऐसे व्यक्ति और एसएचजी/जेएलजी के व्यक्तिगत सदस्य, [जो भारतीय रिज़र्व बैंक (ऋण सुविधाएँ) निदेश, 2025 में निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले सूक्ष्म वित्त ऋणों, जैसा कि वाणिज्यिक बैंकों, लघु वित्त बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों पर लागू होता है, के लाभार्थी हों।] ²⁰
(viii)	व्यक्तिगत महिला लाभार्थियों के लिए प्रति उधारकर्ता ₹2 लाख तक ('प्रति उधारकर्ता ₹2 लाख' की सीमा शहरी सहकारी बैंकों पर लागू नहीं है)
(ix)	गैर संस्थागत उधारदाताओं के प्रति ऋणग्रस्त आपदाग्रस्त किसान
(x)	गैर संस्थागत उधारदाताओं के प्रति ऋणग्रस्त किसानों को छोड़कर आपदाग्रस्त व्यक्तियों को अपने ऋण की पूर्व अदायगी हेतु ₹1 लाख से अनधिक के ऋण।
(xi)	दिव्यांग व्यक्ति
(xii)	विपरीतलिंगी
(xiii)	भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय।

17.2 वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित सीमा और शर्तों के अनुसार पीएमजेडीवाई खाताधारकों द्वारा ओवरड्राफ्ट का लाभ कमजोर वर्गों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है।

17.3 ऐसे राज्य जहां अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों में से एक वास्तव में बहुसंख्यक है, मद (xiii) में केवल अन्य अधिसूचित अल्पसंख्यकों का समावेश होगा। ये राज्य/केंद्र शासित प्रदेश हैं पंजाब, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, लक्षद्वीप और जम्मू और कश्मीर।

²⁰ दिनांक 19 जनवरी 2026 के भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण) (संशोधन) निदेश, 2026 द्वारा प्रतिस्थापित।

अध्याय IV

विविध

18. बैंकों द्वारा प्रतिभूतिकरण नोट में निवेश

बैंकों द्वारा 'प्रतिभूतिकरण नोट' में निवेश, जो 'अन्य' श्रेणी को छोड़कर प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र की विभिन्न श्रेणियों के ऋण का द्योतक हैं, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र की संबंधित श्रेणियों के अंतर्गत निहित आस्तियों के आधार पर वर्गीकरण के लिए पात्र है, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

- (i) परिसंपत्तियाँ बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा मूलतः निर्मित हों और वे प्रतिभूतिकरण से पहले प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत किए जाने के लिए पात्र हो और [भारतीय रिज़र्व बैंक (प्रतिभूतिकरण लेनदेन) निदेश, 2025 के प्रावधान, जो विभिन्न संस्थाओं पर लागू होते हैं]²¹ को पूरा करती हो।]
- (ii) बैंकों द्वारा प्रतिभूतिकरण नोटों में किया गया निवेश, जिसमें निहित रूप में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा मूल रूप से दिए गए स्वर्ण आभूषणों की जमानत पर ऋण शामिल हैं, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र स्थिति के लिए पात्र नहीं हैं।

[18ए. अंतर्निहित पोर्टफोलियो की प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र स्थिति का पता लगाने के लिए, बैंक मूल इकाई द्वारा प्रदान किए गए किसी भी बाहरी लेखा परीक्षक के प्रमाणन और अपने स्वयं के कर्मचारियों या इस उद्देश्य के लिए किसी लेखा परीक्षक द्वारा किए गए नमूना जांच के संयोजन पर भरोसा कर सकते हैं। यह उनकी आंतरिक नीति में निर्दिष्ट हो सकता है।]²²

नोट: पैरा 18 के प्रावधान [एसएफबी, एलएबी,]²³ आरआरबी और यूसीबी पर लागू नहीं हैं।

19. सीधे एसाइनमेंट/आउटराइट खरीद के माध्यम से आस्तियों का अंतरण

बैंकों द्वारा एसाइनमेंट/आस्तियों के समूह की आउटराइट खरीद जो 'अन्य' श्रेणी को छोड़कर प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत ऋणों की द्योतक है, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र की संबंधित श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाने की पात्र होगी, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

²¹ दिनांक 19 जनवरी 2026 के भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण) (संशोधन) निदेश, 2026 द्वारा प्रतिस्थापित।

²² दिनांक 19 जनवरी 2026 के भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण) (संशोधन) निदेश, 2026 द्वारा सम्मिलित।

²³ दिनांक 19 जनवरी 2026 के भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण) (संशोधन) निदेश, 2026 द्वारा सम्मिलित।

- (i) परिसंपत्तियाँ बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा मूलतः निर्मित हों और वे खरीद से पहले प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत किए जाने के पात्र हो और [भारतीय रिज़र्व बैंक (ऋण जोखिम का हस्तांतरण एवं वितरण) निदेश, 2025 के प्रावधान, जो वाणिज्यिक बैंकों और लघु वित्त बैंकों पर लागू होते हैं]²⁴ को पूरा करती हो।
- (ii) बैंक को प्राथमिकता-प्राप्त उधारकर्ता को वास्तविक रूप में संवितरित की गई बकाया राशि के बारे में रिपोर्ट करना चाहिए और न कि विक्रेता को अदा की गई प्रीमियम राशि के बारे में।
- (iii) बैंकों द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से प्राप्त स्वर्ण आभूषणों पर ऋण प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र स्थिति के लिए पात्र नहीं हैं।

नोट: पैरा 19 के प्रावधान [एलएबी],²⁵ आरआरबी और यूसीबी पर लागू नहीं हैं।

20. अंतर बैंक सहभागिता प्रमाणपत्र (आईबीपीसी)

- (i) बैंकों द्वारा जोखिम साझा करने के आधार पर खरीदे गए आईबीपीसी, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र की संबंधित श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकरण के लिए पात्र हैं बशर्ते, अंतर्निहित परिसंपत्तियाँ संबंधित श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाने की पात्र हों और बैंक [भारतीय रिज़र्व बैंक (ऋण जोखिम का हस्तांतरण एवं वितरण) निदेश, 2025 के प्रासंगिक प्रावधान, जो वाणिज्यिक बैंकों और लघु वित्त बैंकों पर लागू होते हैं]²⁶ को पूरा करते हों।
- (ii) बैंकों द्वारा पैरा 11 के अनुसार 'निर्यात ऋण' के संबंध में जोखिम शेयरिंग आधार पर खरीदे गए आईबीपीसी, को खरीदने वाले बैंक की दृष्टि से प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र वर्गीकरण के लिए वर्गीकृत किया जाए। तथापि, ऐसी स्थिति में इस संबंध में दिशानिर्देशों के अनुसार जारी करने वाले और खरीदने वाले बैंक द्वारा आवश्यक समुचित सावधानी लिए जाने के अलावा जारी करने वाला बैंक प्रमाणित करेगा कि निहित आस्ति 'निर्यात ऋण' है।

नोट: अनुच्छेद 20 के प्रावधान [एलएबी, आरआरबी और]²⁷, यूसीबी पर लागू नहीं होते हैं।

²⁴ दिनांक 19 जनवरी 2026 के भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण) (संशोधन) निदेश, 2026 द्वारा प्रतिस्थापित।

²⁵ दिनांक 19 जनवरी 2026 के भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण) (संशोधन) निदेश, 2026 द्वारा सम्मिलित।

²⁶ दिनांक 19 जनवरी 2026 के भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण) (संशोधन) निदेश, 2026 द्वारा प्रतिस्थापित।

²⁷ दिनांक 19 जनवरी 2026 के भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण) (संशोधन) निदेश, 2026 द्वारा सम्मिलित।

21. प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार प्रमाणपत्र (पीएसएलसी)

बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र पर पीएसएलसी खरीदने/बेचने की अनुमति है [जैसा कि [अनुबंध IIIए](#) में विस्तृत है।]²⁸ जारी और खरीदे गए पीएसएलसी की नेट नॉमिनल वैल्यू संबंधित प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र श्रेणियों के तहत वर्गीकरण के लिए पात्र होगी, बशर्ते बैंकों द्वारा उत्पन्न अंतर्निहित परिसंपत्तियां प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत होने के लिए पात्र हों। एसएफबी को [केवल समग्र पीएसएल लक्ष्य के भीतर पीएसएल उप-लक्ष्यों को पूरा करने के विशिष्ट उद्देश्य के लिए ही पीएसएलसी खरीदने की अनुमति है।]²⁹

22. एमएफआई (एनबीएफसी-एमएफआई, सोसायटी, ट्रस्ट आदि) को आगे-उधार दिए जाने हेतु बैंक ऋण

नीचे पैरा 22 (i) और 22 (ii) के तहत एमएफआई को बैंकों द्वारा संवितरित ऋण संबंधित श्रेणियों जैसे कृषि, एमएसएमई, सामाजिक बुनियादी ढांचे और अन्य के तहत प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के रूप में वर्गीकरण के लिए पात्र हैं, बशर्ते एमएफआई [\[भारतीय रिज़र्व बैंक \(गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - सूक्ष्म वित्त संस्थान\) निदेश, 2025\]](#) में निर्धारित शर्तों का पालन करें और बैंकों द्वारा सूक्ष्म वित्त संस्थानों से बाह्य लेखा परीक्षकों के प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाये, जो इस बात की पुष्टि करते हों कि इन ऋणों के संबंध में किसी अन्य बैंक से आगे-उधार (ऑन-लेंडिंग) लाभ का दावा नहीं किया गया है।³⁰

(i) एसएफबी के अलावा अन्य बैंकों द्वारा पंजीकृत एनबीएफसी-एमएफआई और अन्य एमएफआई (सोसायटी, ट्रस्ट, आदि) को ऋण, जो इस क्षेत्र के लिए आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त स्व-नियामक संगठन (एसआरओ) के सदस्य हैं, व्यक्तियों और एसएचजी/जेएलजी के सदस्यों को आगे-उधार देने के लिए।

(ii) व्यक्तियों³¹ को आगे-उधार देने के उद्देश्य से एसएफबी द्वारा पंजीकृत एनबीएफसी-एमएफआई और अन्य एमएफआई (सोसायटी, ट्रस्ट, आदि) को ऋण, जो आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त क्षेत्र के एसआरओ के सदस्य हैं और जिनके पास पिछले वर्ष की 31 मार्च तक 500 करोड़ रुपये तक का 'सकल ऋण पोर्टफोलियो' (जीएलपी) है। यदि एनबीएफसी-एमएफआई/अन्य एमएफआई का जीएलपी बाद में निर्धारित सीमा से अधिक

²⁸ दिनांक 19 जनवरी 2026 के भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण) (संशोधन) निदेश, 2026 द्वारा प्रतिस्थापित।

²⁹ दिनांक 19 जनवरी 2026 के भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण) (संशोधन) निदेश, 2026 द्वारा प्रतिस्थापित।

³⁰ दिनांक 19 जनवरी 2026 के भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण) (संशोधन) निदेश, 2026 द्वारा प्रतिस्थापित।

³¹ दिनांक 5 मई 2021 से प्रभावी

हो जाता है, तो जीएलपी सीमा पार करने से पहले बनाए गए सभी प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋणों को एसएफबी द्वारा पुनर्भुगतान/परिपक्वता तक, जो भी पहले हो, पीएसएल के रूप में वर्गीकृत किया जाना जारी रहेगा। उपर्युक्त के अनुसार बैंक ऋण, पिछले वित्तीय वर्ष में किसी व्यक्तिगत बैंक के कुल प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार के 10% की समग्र सीमा तक, पीएसएल वर्गीकरण के लिए पात्र है। बैंक चालू वित्त वर्ष की चारों तिमाहियों में आगे-उधार की व्यवस्था के अंतर्गत पात्र पोर्टफोलियो का औसत निकालकर निर्धारित सीमा के अनुपालन का निर्धारण करेंगे।

नोट: पैरा 22 के प्रावधान आरआरबी, यूसीबी और एलएबी पर लागू नहीं हैं।

23. आगे-उधार दिए जाने हेतु एनबीएफसी को बैंकों द्वारा ऋण

पंजीकृत एनबीएफसी (एमएफआई के अलावा) को आगे-उधार दिए जाने हेतु बैंक ऋण निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित श्रेणियों के तहत प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के रूप में वर्गीकरण के लिए पात्र होंगे:

- (i) **कृषि:** कृषि के अंतर्गत 'सावधि उधार' घटक के संबंध में प्रति उधारकर्ता ₹10 लाख तक
- (ii) **सूक्ष्म और लघु उद्यम:** प्रति उधारकर्ता 20 लाख रुपये तक, बशर्ते बैंक पोर्टफोलियो में ऐसे ऋणों का अलग-अलग डेटा बनाए रखें।
- [(iii) बैंकों को एनबीएफसी से बाहरी लेखा परीक्षकों के प्रमाणपत्र प्राप्त करने होंगे जो इस बात की पुष्टि करते हों कि ऐसे ऋणों के संबंध में किसी अन्य बैंक से आगे – उधार (ऑन-लेंडिंग) लाभ का दावा नहीं किया गया है।]³²

नोट: पैरा 23 के प्रावधान आरआरबी, यूसीबी, एसएफबी और एलएबी पर लागू नहीं हैं।

24. आगे-उधार दिए जाने हेतु आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को बैंकों द्वारा ऋण

आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को उनके पुनर्वित्त के लिए एनएचबी द्वारा अनुमोदित बैंक ऋण, व्यक्तिगत आवासीय यूनिटों की खरीद/निर्माण/पुनर्निर्माण के लिए या झुग्गी-झोपड़ी हटाने और झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों के पुनर्वास के लिए आगे-उधार (ऑन-लेंडिंग) देने हेतु, 'आवास' श्रेणी के अंतर्गत प्रति उधारकर्ता 20 लाख रुपये की कुल ऋण सीमा के अधीन [पीएसएल के रूप में वर्गीकृत होने के लिए पात्र होगा]³³। बैंकों को अंतर्निहित पोर्टफोलियो का उधारकर्ता-वार आवश्यक विवरण बनाए रखना होगा [और एचएफसी से बाहरी लेखा परीक्षकों

³² दिनांक 19 जनवरी 2026 के भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण) (संशोधन) निदेश, 2026 द्वारा सम्मिलित।

³³ दिनांक 19 जनवरी 2026 के भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण) (संशोधन) निदेश, 2026 द्वारा सम्मिलित।

के प्रमाणपत्र प्राप्त करने होंगे, जो इस बात की पुष्टि करते हों कि ऐसे ऋणों के संबंध में किसी अन्य बैंक से आगे – उधार (ऑन-लेंडिंग) लाभ का दावा नहीं किया गया है।³⁴

नोट: पैरा 24 के प्रावधान आरआरबी, एसएफबी और एलएबी पर लागू नहीं हैं।

[24ए. एनसीडीसी को आगे – उधार (ऑन-लेंडिंग) देने के लिए बैंक ऋण

इस मास्टर निदेश में निर्धारित उद्देश्यों और गतिविधियों के लिए सहकारी समितियों को आगे – उधार (ऑन-लेंडिंग) देने हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) को दिया गया बैंक ऋण संबंधित श्रेणियों के अंतर्गत प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार के रूप में वर्गीकृत होने के लिए पात्र होगा। यह इस शर्त के अधीन है कि एनसीडीसी, सीएजी³⁵ द्वारा सूचीबद्ध सनदी लेखाकार (चार्टर्ड अकाउंटेंट) फर्म द्वारा ऋण देने वाले बैंकों को तिमाही प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे, जिसमें यह पुष्टि की गई हो कि बैंक ऋण का उपयोग पीएसएल पात्र उद्देश्यों के लिए सहकारी समितियों को ऋण देने के लिए किया गया है और ऐसे ऋणों के संबंध में किसी अन्य बैंक से आगे – उधार (ऑन-लेंडिंग) लाभ का दावा नहीं किया गया है।

नोट: (i) पैरा 24ए के प्रावधान 19 जनवरी 2026 के बाद बैंकों द्वारा एनसीडीसी को स्वीकृत ऋणों पर लागू होते हैं।

(ii) पैरा 24ए के प्रावधान आरआरबी, यूसीबी, एसएफबी और एलएबी पर लागू नहीं होते हैं।³⁶

25. आगे-उधार दिए जाने पर उच्चतम सीमा

पैरा 23, 24 [और 24ए]³⁷ में उल्लिखित अनुसार आगे – उधार (ऑन-लेंडिंग) के लिए एनबीएफसी (एचएफसी सहित) [और एनसीडीसी]³⁷ को बैंक द्वारा दिया गया ऋण, पिछले वित्तीय वर्ष में व्यक्तिगत बैंक के कुल प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार के 5% की समग्र सीमा तक पीएसएल वर्गीकरण के लिए पात्र होगा। बैंक चालू वित्तीय वर्ष की चार तिमाहियों में आगे – उधार (ऑन-लेंडिंग) तंत्र के तहत पात्र पोर्टफोलियो का औसत निकालकर निर्धारित सीमा के अनुपालन का निर्धारण करेंगे। [नवीन लाइसेंस प्राप्त बैंक के मामले में, यह सीमा उसके संचालन के पहले वर्ष के दौरान निरंतर आधार पर लागू रहेगी।]³⁷

³⁴ दिनांक 19 जनवरी 2026 के भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण) (संशोधन) निदेश, 2026 द्वारा सम्मिलित।

³⁵ भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

³⁶ दिनांक 19 जनवरी 2026 के भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण) (संशोधन) निदेश, 2026 द्वारा सम्मिलित।

³⁷ दिनांक 19 जनवरी 2026 के भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण) (संशोधन) निदेश, 2026 द्वारा सम्मिलित।

26. सह-उधार

[भारतीय रिजर्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - ऋण जोखिम का हस्तांतरण और वितरण) निदेश, 2025 के अनुसार, बैंकों को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को उधार देने के लिए सह-उधार व्यवस्था में प्रवेश करने की अनुमति है। बैंकों और एनबीएफसी द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को सह-उधार देने संबंधी [दिनांक 5 नवंबर 2020 के परिपत्र संख्या विसिविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.8/04.09.01/2020-21](#) तथा बैंकों और एनबीएफसी द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार देने हेतु सह-उत्पत्ति संबंधी [दिनांक 21 सितंबर 2018 के परिपत्र संख्या विसिविवि.केंका.प्लान.बीसी.08/04.09.01/2018-19](#) के अनुसार दिए गए ऋण, चुकौती/परिपक्वता, जो भी पहले हो, तक प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र वर्गीकरण के लिए पात्र बने रहेंगे।]³⁸

नोट: पैरा 26 के प्रावधान आरआरबी, यूसीबी, एसएफबी और एलएबी पर लागू नहीं हैं।

27. कोविड-19 के उपायों के लिए पीएसएल की पात्रता

कोविड-19 के वित्तीय प्रभाव को कम करने के लिए नीतिगत उपायों के तहत दिए गए बकाया ऋण, जैसा कि [अनुबंध-IV](#) में विस्तृत रूप से दिया गया है, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार के रूप में वर्गीकरण के लिए पात्र होंगे।

28. प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के लक्ष्यों पर निगरानी रखना

- (i) प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को निरंतर ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए बैंकों द्वारा किए जाने वाले अनुपालन पर 'तिमाही' आधार पर निगरानी रखी जाए।
- (ii) प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के आंकड़े बैंकों द्वारा संबंधित रिपोर्टिंग प्रारूप के अनुसार [\[तिमाही और वार्षिक\]](#)³⁹ अंतराल पर, प्रत्येक तिमाही और वित्तीय वर्ष के अंत से क्रमशः पंद्रह दिन और एक महीने के भीतर प्रस्तुत किए जाएं।
- (iii) आरआरबी के संबंध में, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों से संबंधित आंकड़ों को उपर्युक्त प्रारूप में तिमाही और वार्षिक अंतराल पर नाबार्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं।
- (iv) प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम पर आंकड़ें प्रस्तुत करने के संबंध में, शहरी सहकारी बैंकों को समय-समय पर अद्यतन किए गए [दिनांक 27 फरवरी 2024 के मास्टर निदेश- भारतीय रिजर्व बैंक \(पर्यवेक्षी विवरणियों की प्रस्तुति\) निदेश – 2024](#) द्वारा निदेशित किया जाए।

³⁸ [दिनांक 19 जनवरी 2026 के भारतीय रिजर्व बैंक \(प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण\) \(संशोधन\) निदेश, 2026](#) द्वारा प्रतिस्थापित।

³⁹ फॉर्मेटों को [दिनांक 19 जनवरी 2026 के भारतीय रिजर्व बैंक \(प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण\) \(संशोधन\) निदेश, 2026](#) के अनुसार अद्यतन किया गया है।

29. प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्य प्राप्त न करना

- (i) निर्धारित लक्ष्य/उप-लक्ष्यों की तुलना में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार देने में कमी की रिपोर्ट करने वाले सभी बैंकों (सर्व समावेशी निदेशों के अंतर्गत शहरी सहकारी बैंकों को छोड़कर) को ग्रामीण बुनियादी विकास निधि (आरआईडीएफ) और नाबार्ड/एनएचबी/सिडबी/मुद्रा लिमिटेड के पास अन्य निधियों में योगदान के लिए राशि आवंटित की जाएगी, जो समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा तय किया जाएगा।
- (ii) प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्य की उपलब्धि की गणना करते समय हर तिमाही के लिए कमी/अधिक उधार पर अलग से निगरानी रखी जाएगी। वर्ष के अंत में सभी तिमाहियों का सामान्य औसत निकाला जाएगा और समग्र कमी/अधिकता की गणना के लिए उसे ध्यान में लिया जाएगा। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के उप-लक्ष्यों की उपलब्धि की गणना करते समय इसी पद्धति का पालन किया जाएगा। (अनुबंध V में उदाहरण दिया गया है)।
- (iii) आरआईडीएफ और अन्य निधियों में उनके योगदान के लिए बैंकों को देय ब्याज दरें निम्नानुसार होंगी:

क्र. सं.	समग्र प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार के लक्ष्य में कमी	जमा दरें
1	5 प्रतिशत से कम अंक	बैंक दर माइनस 2 प्रतिशत अंक
2	5 और उससे अधिक, किन्तु 10 प्रतिशत अंक से कम	बैंक दर माइनस 3 प्रतिशत अंक
3	10 प्रतिशत अंक और उससे अधिक	बैंक दर माइनस 4 प्रतिशत अंक

इसके अतिरिक्त, यदि समग्र पीएसएल लक्ष्य में कोई कमी नहीं होती है, लेकिन किसी उप-लक्ष्य में कमी होती है, तो बैंक दर से 2 प्रतिशत अंक कम ब्याज दर लागू होगी।

- (iv) यदि भारतीय रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में नाबार्ड) द्वारा पीएसएल में कोई गलत वर्गीकरण पाया जाता है, तो उसे संबंधित वर्ष की पीएसएल उपलब्धि से समायोजित किया जाएगा, जिससे गलत वर्गीकरण की राशि संबंधित है, तथा कमी को आगामी वर्षों में विभिन्न निधियों में आवंटित किया जाएगा।
- (v) प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्य, उप-लक्ष्य पूरे न करने को विभिन्न प्रयोजनों के लिए विनियामक क्लियरेंस/अनुमोदन देते समय विचार में लिया जाएगा।

30. प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को ऋण हेतु सामान्य दिशा-निर्देश

बैंकों से अपेक्षित है कि वे प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत अग्रिमों की सभी श्रेणियों के संबंध में निम्नलिखित सामान्य दिशानिर्देशों का पालन करें।

- (i) **ब्याज की दर:** ऋणों पर लगाए जाने वाले ब्याज की दरें [भारतीय रिज़र्व बैंक (अग्रिमों पर ब्याज दर) निदेश, 2025, जो वाणिज्यिक बैंकों, लघु वित्त बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों पर लागू होते हैं]।⁴⁰ के अनुरूप होंगी।
- (ii) **सेवा शुल्क:** ₹50,000/- तक के प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋणों पर कोई ऋण संबंधी [शुल्क (ऋण गारंटी योजनाओं के गारंटी शुल्क सहित)]।⁴¹ और तदर्थ सेवा प्रभार/निरीक्षण प्रभार नहीं लगाया जाना चाहिए। एसएचजी/जेएलजी को पात्र प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋणों के मामले में, यह सीमा समग्र समूह के बजाय हर सदस्य पर लागू होगी।
- (iii) **प्राप्ति, स्वीकृति/अस्वीकृति/संवितरण का अभिलेख:** बैंक द्वारा प्राप्ति की तारीख, स्वीकृति, संवितरण, अस्वीकृति तथा उसके कारण आदि का रिकार्ड रखा जाएगा।
- (iv) **ऋण आवेदनों की पावती जारी करना:** बैंकों को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण के लिए आवेदन प्राप्ति की पावती प्रदान करनी होगी। बैंक बोर्ड वह समय-सीमा निर्धारित करेगा जिसके भीतर बैंक आवेदकों को लिखित रूप में अपना निर्णय सूचित करेगा।
- (v) बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार के रूप में वर्गीकृत ऋण अनुमोदित उद्देश्यों के लिए प्रदान किए जाएं तथा उचित आंतरिक प्रणालियों और नियंत्रणों को स्थापित करके अंतिम उपयोग की निगरानी की जाए।
- (vi) प्रत्येक प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण को इन मास्टर निदेशों के पैरा 5 में निर्दिष्ट आठ पहचानी गई श्रेणियों में से किसी एक में ही वर्गीकृत किया जाए।

~*~**~*~*~*

⁴⁰ दिनांक 19 जनवरी 2026 के भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण) (संशोधन) निदेश, 2026 द्वारा प्रतिस्थापित।

⁴¹ दिनांक 19 जनवरी 2026 के भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण) (संशोधन) निदेश, 2026 द्वारा सम्मिलित।

तुलनात्मक रूप से उच्च पीएसएल क्रेडिट वाले जिलों की सूची

क्र.सं.	राज्य	जिले का नाम
1	अंडमान निकोबार	दक्षिण अंडमान
2	आंध्र प्रदेश	बापटला
3	आंध्र प्रदेश	डॉ बीआर अंबेडकर कोनसीमा
4	आंध्र प्रदेश	पूर्वी गोदावरी
5	आंध्र प्रदेश	एलूरु
6	आंध्र प्रदेश	गुंटूर
7	आंध्र प्रदेश	काकिनाड़ा
8	आंध्र प्रदेश	कृष्णा
9.	आंध्र प्रदेश	एनटीआर
10.	आंध्र प्रदेश	पलनाडु
11.	आंध्र प्रदेश	प्रकाशम
12.	आंध्र प्रदेश	श्री पोटी श्रीरामुलु नेल्लोर
13.	आंध्र प्रदेश	तिरुपति
14.	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम
15.	आंध्र प्रदेश	पश्चिम गोदावरी
16.	आंध्र प्रदेश	वाईएसआर
17.	अरुणाचल प्रदेश	पापुमपरे
18.	असम	कामरूप मेट्रोपॉलिटन
19.	बिहार	पटना
20.	चंडीगढ़	चंडीगढ़
21.	छत्तीसगढ़	बिलासपुर
22.	छत्तीसगढ़	रायपुर
23.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	दादरा और नगर हवेली
24.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	दमन

25.	गोवा	उत्तर गोवा
26.	गोवा	दक्षिण गोवा
27.	गुजरात	अहमदाबाद
28.	गुजरात	भरूच
29.	गुजरात	गांधीनगर
30.	गुजरात	जामनगर
31.	गुजरात	कच्छ
32.	गुजरात	मेहसाना
33.	गुजरात	मोरबी
34.	गुजरात	पोरबंदर
35.	गुजरात	राजकोट
36.	गुजरात	सूरत
37.	गुजरात	वडोदरा
38.	गुजरात	वलसाड
39.	हरियाणा	अंबाला
40.	हरियाणा	फरीदाबाद
41.	हरियाणा	फतेहाबाद
42.	हरियाणा	गुरुग्राम
43.	हरियाणा	हिसार
44.	हरियाणा	झज्जर
45.	हरियाणा	जींद
46.	हरियाणा	कैथल
47.	हरियाणा	करनाल
48.	हरियाणा	कुरुक्षेत्र
49.	हरियाणा	पंचकुला
50.	हरियाणा	पानीपत
51.	हरियाणा	रेवाड़ी

52.	हरियाणा	रोहतक
53.	हरियाणा	सिरसा
54.	हरियाणा	सोनीपत
55.	हरियाणा	यमुनानगर
56.	हिमाचल प्रदेश	कुल्लू
57.	हिमाचल प्रदेश	शिमला
58.	हिमाचल प्रदेश	सिरमौर
59.	हिमाचल प्रदेश	सोलन
60.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू
61.	जम्मू और कश्मीर	पुलवामा
62.	जम्मू और कश्मीर	शोपियां
63.	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर
64.	झारखंड	रांची
65.	कर्नाटक	बैंगलोर ग्रामीण
66.	कर्नाटक	बैंगलोर शहरी
67.	कर्नाटक	चिकमंगलूर
68.	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड़
69.	कर्नाटक	धारवाड़
70.	कर्नाटक	हसन
71.	कर्नाटक	कोडागू
72.	कर्नाटक	मैसूर
73.	कर्नाटक	रामनगरा
74.	कर्नाटक	शिवमोग्गा
75.	कर्नाटक	उडुपी
76.	केरल	अलपुझा
77.	केरल	एर्नाकुलम
78.	केरल	इडुक्की

79.	केरल	कन्नूर
80.	केरल	कासरगोड
81	केरल	कोल्लम
82	केरल	कोट्टायम
83	केरल	कोझिकोड
84	केरल	पलक्कड़
85	केरल	पथानामथिट्टा
86	केरल	तिरुवनंतपुरम
87	केरल	त्रिशूर
88	केरल	वायनाड
89	लद्दाख	लेह लद्दाख
90	मध्य प्रदेश	भोपाल
91	मध्य प्रदेश	पूर्व नेमाड़
92	मध्य प्रदेश	ग्वालियर
93	मध्य प्रदेश	हरदा
94	मध्य प्रदेश	इंदौर
95	मध्य प्रदेश	जबलपुर
96	मध्य प्रदेश	नर्मदापुरम
97	मध्य प्रदेश	रतलाम
98	मध्य प्रदेश	उज्जैन
99	महाराष्ट्र	छत्रपती संभाजीनगर
100	महाराष्ट्र	कोल्हापुर
101	महाराष्ट्र	मुंबई
102	महाराष्ट्र	मुंबई उपनगर
103	महाराष्ट्र	नागपुर
104	महाराष्ट्र	नासिक
105	महाराष्ट्र	पुणे

106	महाराष्ट्र	रायगढ़
107	महाराष्ट्र	ठाणे
108	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	मध्य दिल्ली
109	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	पूर्वी दिल्ली
110	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	नई दिल्ली
111	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	उत्तरी दिल्ली
112	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	शाहदरा
113	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	दक्षिणी दिल्ली
114	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	दक्षिण-पूर्वी दिल्ली
115	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	पश्चिम दिल्ली
116	ओडिशा	खुर्दा
117	पुडुचेरी	कराईकल
118	पुडुचेरी	माहे
119	पुडुचेरी	पुडुचेरी
120	पुडुचेरी	यानम
121	पंजाब	अमृतसर
122	पंजाब	बरनाला
123	पंजाब	बठिंडा
124	पंजाब	फरीदकोट
125	पंजाब	फतेहगढ़ साहिब
126	पंजाब	फाजिल्का
127	पंजाब	जालंधर
128	पंजाब	कपूरथला
129	पंजाब	लुधियाना
130	पंजाब	मानसा
131	पंजाब	मोगा
132	पंजाब	मुक्तसर

133	पंजाब	पटियाला
134	पंजाब	साहिबजादा अजीत सिंह नगर
135	पंजाब	संगरूर
136	राजस्थान	अजमेर
137	राजस्थान	भीलवाड़ा
138	राजस्थान	बीकानेर
139	राजस्थान	गंगानगर
140	राजस्थान	हनुमानगढ़
141	राजस्थान	जयपुर
142	राजस्थान	जोधपुर
143	राजस्थान	कोटा
144	[*****] ⁴²	
145	तमिलनाडु	अरियालुर
146	तमिलनाडु	चेंगलपट्ट
147	तमिलनाडु	चेन्नै
148	तमिलनाडु	कोयंबतूर
149	तमिलनाडु	कडलूर
150	तमिलनाडु	धर्मपुरी
151	तमिलनाडु	दिंडीगुल
152	तमिलनाडु	ईरोड
153	तमिलनाडु	कल्लकुरीची
154	तमिलनाडु	कन्याकूमारी
155	तमिलनाडु	करूर
156	तमिलनाडु	कृष्णागिरी
157	तमिलनाडु	मदुरै

⁴² भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण) (संशोधन) निदेश, 2025 दिनांकित 19 जनवरी 2026 के माध्यम से हटा दिया गया।

158	तमिलनाडु	मयिलाडुदुरै
159	तमिलनाडु	नामक्कल
160	तमिलनाडु	नीलगिरि
161	तमिलनाडु	पेरंबलूर
162	तमिलनाडु	पुदुक्कोट्टै
163	तमिलनाडु	रामनाथपुरम
164	तमिलनाडु	राणिप्पेट्टै
165	तमिलनाडु	सेलम
166	तमिलनाडु	शिवगंगा
167	तमिलनाडु	तेनकाशी
168	तमिलनाडु	तंजाऊर
169	तमिलनाडु	तेनि
170	तमिलनाडु	तिरुवल्लूर
171	तमिलनाडु	तिरुवारूर
172	तमिलनाडु	तिरुचिरापल्ली
173	तमिलनाडु	तिरुनेन्वेली
174	तमिलनाडु	तिरुपूर
175	तमिलनाडु	तिरुवण्णामलै
176	तमिलनाडु	तूत्तुकुडि
177	तमिलनाडु	विरुदुनगर
178	तेलंगाना	हनुमाकोंडा
179	तेलंगाना	हैदराबाद
180	तेलंगाना	जनगांव
181	तेलंगाना	मेडचाल-मल्काजगिरि
182	तेलंगाना	रंगा रेड्डी
183	तेलंगाना	संगा रेड्डी
184	तेलंगाना	सूर्यपेट

185	उत्तर प्रदेश	आगरा
186	उत्तर प्रदेश	गौतम बुद्ध नगर
187	उत्तर प्रदेश	गाज़ियाबाद
188	उत्तर प्रदेश	कानपुर नगर
189	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
190	उत्तर प्रदेश	मेरठ
191	उत्तराखंड	देहरादून
192	उत्तराखंड	हरिद्वार
193	उत्तराखंड	नैनीताल
194	उत्तराखंड	उधम सिंह नगर
195	पश्चिम बंगाल	अलीपुरद्वार
196	पश्चिम बंगाल	दार्जिलिंग
197	पश्चिम बंगाल	कलिमपोंग
198	पश्चिम बंगाल	कोलकाता

तुलनात्मक रूप से कम पीएसएल क्रेडिट वाले जिलों की सूची

क्रम सं.	राज्य	जिले का नाम
1	अंडमान निकोबार	निकोबार
2	आंध्र प्रदेश	अल्लूरी सीतारामराजू
3	अरुणाचल प्रदेश	अंजाव
4	अरुणाचल प्रदेश	चुंगलेंग
5	अरुणाचल प्रदेश	पूर्वी कामेंग
6	अरुणाचल प्रदेश	पूर्वी सियांग
7	अरुणाचल प्रदेश	कमले
8	अरुणाचल प्रदेश	क्रा दादी
9	अरुणाचल प्रदेश	कुरुंग कुमे
10	अरुणाचल प्रदेश	लेपाराडा
11	अरुणाचल प्रदेश	लोहित
12	अरुणाचल प्रदेश	लोंगडिंग
13	अरुणाचल प्रदेश	निचली दिबांग घाटी
14	अरुणाचल प्रदेश	निचला सियांग
15	अरुणाचल प्रदेश	लोअर सुबनसिरी
16	अरुणाचल प्रदेश	नामसाई
17	अरुणाचल प्रदेश	पक्के केसांग
18	अरुणाचल प्रदेश	शी योमी
19	अरुणाचल प्रदेश	सियांग
20	अरुणाचल प्रदेश	तवांग
21	अरुणाचल प्रदेश	तिरप
22	अरुणाचल प्रदेश	अपर सियांग
23	अरुणाचल प्रदेश	अपर सुबनसिरी
24	अरुणाचल प्रदेश	पश्चिम सियांग

25	असम	बजाली
26	असम	बक्सा
27	असम	चराइदिओ
28	असम	चिरांग
29	असम	धेमाजी
30	असम	धुबरी
31	असम	दीमा हसाओ
32	असम	गोलपाड़ा
33	असम	हैलाकांडी
34	असम	होजाई
35	असम	कार्बी आंगलॉग
36	असम	करीमगंज
37	असम	कोकराझार
38	असम	माजुली
39	असम	मोरिगांव
40	असम	नागांव
41	असम	दक्षिण सालमारा-मनकाचर
42	असम	उदलगुड़ी
43	असम	पश्चिम कार्बी आंगलॉग
44	बिहार	अरवल
45	बिहार	बांका
46	बिहार	भोजपुर
47	बिहार	बक्सर
48	बिहार	गोपालगंज
49	बिहार	जमुई
50	बिहार	जहानाबाद
51	बिहार	कैमुर

52	बिहार	खगरिया
53	बिहार	लखीसराय
54	बिहार	मधेपुरा
55	बिहार	मधुबनी
56	बिहार	मुंगेर
57	बिहार	नालंदा
58	बिहार	नवादा
59	बिहार	पश्चिम चंपारण
60	बिहार	सारण
61	बिहार	शेखपूरा
62	बिहार	शिवहर
63	बिहार	सीतामढ़ी
64	बिहार	सिवान
65	बिहार	सुपौल
66	छत्तीसगढ़	बलरामपुर
67	छत्तीसगढ़	दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा
68	छत्तीसगढ़	गरियाबंद
69	छत्तीसगढ़	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही
70	छत्तीसगढ़	जशपुर
71	छत्तीसगढ़	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
72	छत्तीसगढ़	कोंडागांव
73	छत्तीसगढ़	कोरिया
74	छत्तीसगढ़	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर
75	छत्तीसगढ़	मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी
76	छत्तीसगढ़	नारायणपुर
77	छत्तीसगढ़	सक्ती
78	छत्तीसगढ़	सारंगढ़-बिलाईगढ़

79	छत्तीसगढ़	सुकमा
80	छत्तीसगढ़	सूरजपुर
81	छत्तीसगढ़	सरगुजा
82	गुजरात	डांग
83	हरियाणा	नूह
84	झारखंड	चतरा
85	झारखंड	दुमका
86	झारखंड	गढ़वा
87	झारखंड	गोड्डा
88	झारखंड	गुमला
89	झारखंड	जामताड़ा
90	झारखंड	खूंटी
91	झारखंड	लातेहार
92	झारखंड	पलामू
93	झारखंड	साहेबगंज
94	झारखंड	सिमडेगा
95	मध्य प्रदेश	अलीराजपुर
96	मध्य प्रदेश	अनूपपुर
97	मध्य प्रदेश	भिंड
98	मध्य प्रदेश	डिंडोरी
99	मध्य प्रदेश	निवारी
100	मध्य प्रदेश	पन्ना
101	मध्य प्रदेश	सीधी
102	मध्य प्रदेश	टीकमगढ़
103	मध्य प्रदेश	उमरिया
104	महाराष्ट्र	गडचिरोली
105	मणिपुर	बिश्नेनपुर

106	मणिपुर	चंदेल
107	मणिपुर	चुराचांदपुर
108	मणिपुर	इम्फाल पूर्व
109	मणिपुर	जिरीबाम
110	मणिपुर	काकचिंग
111	मणिपुर	कामजोंग
112	मणिपुर	कांगपोकपी
113	मणिपुर	नोने
114	मणिपुर	फेरजावल
115	मणिपुर	सेनापति
116	मणिपुर	तामंगलांग
117	मणिपुर	तेंगनौपल
118	मणिपुर	थौबल
119	मणिपुर	उखरूल
120	मेघालय	ईस्ट गारो हिल्स
121	मेघालय	ईस्ट जैतिया हिल्स
122	मेघालय	पूर्वी पश्चिम खासी हिल्स
123	मेघालय	उत्तर गारो हिल्स
124	मेघालय	दक्षिण गारो हिल्स
125	मेघालय	दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स
126	मेघालय	दक्षिण पश्चिम खासी हिल्स
127	मेघालय	पश्चिम गारो हिल्स
128	मेघालय	पश्चिम जैतिया हिल्स
129	मेघालय	पश्चिम खासी हिल्स
130	मिजोरम	चम्फाई
131	मिजोरम	हनहथियाल
132	मिजोरम	कोलासिब

133	मिजोरम	लावंगतलाई
134	मिजोरम	लुंगलेई
135	मिजोरम	मामित
136	मिजोरम	सैतुअल
137	मिजोरम	सेरछिप
138	मिजोरम	सैहा
139	नागालैंड	चुमुकेदिमा
140	नागालैंड	किफिरे
141	नागालैंड	लॉंगलेंग
142	नागालैंड	मोकोकचुंग
143	नागालैंड	मोन
144	नागालैंड	निउलैंड
145	नागालैंड	नोकलाक
146	नागालैंड	पेरेन
147	नागालैंड	फेक
148	नागालैंड	शमेटर
149	नागालैंड	त्सेमिन्यु
150	नागालैंड	तुएनसांग
151	नागालैंड	वोखा
152	नागालैंड	जुनहेबोतो
153	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	उत्तर-पूर्वी दिल्ली
154	ओडिशा	मल्कानगिरी
155	ओडिशा	नवरंगपुर
156	राजस्थान	डीग



157	[*****] ⁴³	
158	[*****] ⁴³	
159	राजस्थान	सलूंबर
160	[*****] ⁴³	
161	सिक्किम	ग्यालशिंग
162	सिक्किम	सोरेंग
163	तेलंगाना	आदिलाबाद
164	त्रिपुरा	धलाई
165	त्रिपुरा	गोमती
166	त्रिपुरा	खोवाई
167	त्रिपुरा	पूर्व त्रिपुरा
168	त्रिपुरा	सेपहिजाला
169	उत्तर प्रदेश	अमरोहा
170	उत्तर प्रदेश	आजमगढ़
171	उत्तर प्रदेश	बलिया
172	उत्तर प्रदेश	बलरामपुर
173	उत्तर प्रदेश	बांदा
174	उत्तर प्रदेश	बस्ती
175	उत्तर प्रदेश	चित्रकूट
176	उत्तर प्रदेश	फर्रुखाबाद
177	उत्तर प्रदेश	गोंडा
178	उत्तर प्रदेश	जौनपुर
179	उत्तर प्रदेश	कानपुर देहात
180	उत्तर प्रदेश	कौशाम्बी

⁴³ भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण) (संशोधन) निदेश, 2025 दिनांकित 19 जनवरी 2026 के माध्यम से हटा दिया गया।



181	उत्तर प्रदेश	कुशीनगर
182	उत्तर प्रदेश	महाराजगंज
183	उत्तर प्रदेश	मऊ
184	उत्तर प्रदेश	संत कबीर नगर
185	उत्तर प्रदेश	श्रावस्ती
186	उत्तर प्रदेश	सिद्धार्थनगर
187	उत्तर प्रदेश	सीतापुर
188	उत्तर प्रदेश	सुल्तानपुर
189	उत्तर प्रदेश	उन्नाव
190	उत्तराखंड	बागेश्वर
191	उत्तराखंड	चमोली
192	उत्तराखंड	पिथौरागढ़
193	उत्तराखंड	रुद्रप्रयाग
194	उत्तराखंड	टिहरी गढ़वाल
195	पश्चिम बंगाल	झारग्राम
196	पश्चिम बंगाल	पुरुलिया



अनुबंध – II

कृषि बुनियादी संरचना और संबद्ध कार्यकलाप के तहत पात्र गतिविधियों की एक सांकेतिक सूची नीचे दी गई है:

1) कृषि बुनियादी संरचना	<p>i) भंडारण सुविधाओं (भंडारघर, बाज़ार प्रांगण, गोदाम और साइलो) जिनमें कृषि उत्पाद/उत्पादनों के भंडारण के लिए बनाए गए कोल्ड स्टोरेज यूनिट/कोल्ड स्टोरेज चेन शामिल हैं, चाहे वे कहीं भी स्थित हों, के निर्माण के लिए ऋण।</p> <p>ii) भू-संरक्षण और जल विभाजन (वॉटरशेड) विकास के लिए ऋण।</p> <p>iii) ऊतक (टिशू) संवर्धन और कृषि जैव प्रौद्योगिकी (बायो-टेक्नोलॉजी), बीज उत्पादन, जैविक (बायो) कीटनाशकों का उत्पादन, जैविक उर्वरक, और कृमि कंपोस्टिंग के लिए ऋण।</p> <p>iv) कम्प्रेस्ड बायो गैस (सीबीजी) संयंत्रों की स्थापना के लिए उद्यमियों को ऋण के साथ जैव-ईंधन के उत्पादन, उनके भंडारण और वितरण बुनियादी संरचना के लिए तेल निष्कर्षण/प्रसंस्करण इकाइयों के निर्माण के लिए ऋण।</p>
2) संबद्ध कार्यकलाप	<p>(i) एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस केंद्रों की स्थापना के लिए ऋण।</p> <p>(ii) व्यक्तियों, संस्थाओं अथवा संगठनों द्वारा प्रबंधित ऐसे कस्टम सेवा यूनिटों को ऋण जो ट्रैक्टर, बुलडोज़र, कुआं खोदने के उपकरण, थ्रेशर, कंबाइन, आदि का बेड़ा रखते हैं और किसानों के लिए संविदा आधार पर कृषि कार्य करते हैं।</p> <p>(iii) प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस), कृषक सेवा समितियों (एफएसएस) और बड़े आकारवाली आदिवासी बहु-उद्देश्य समितियों (एलएएमपीएस) को आगे कृषि के लिए ऋण प्रदान करने हेतु दिए गए ऋण।</p> <p>(iv) बैंकों द्वारा इन मास्टर निदेशों के पैरा 22 में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार कृषि के लिए आगे-उधार प्रदान करने हेतु एमएफआई को स्वीकृत ऋण।</p> <p>(v) बैंकों द्वारा इन मास्टर निदेशों के पैरा 23 में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार पंजीकृत एनबीएफसी (एमएफआई के अलावा) को स्वीकृत ऋण।</p>



अनुबंध – III

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) द्वारा साझा की गई खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के तहत अनुमेय गतिविधियों की सांकेतिक सूची

1. क्लिनिंग, एयर कूलिंग (फील्ड हीट रिमूवल), सॉर्टिंग, ग्रेडिंग/साइजिंग, पैकेजिंग, वेयरहाउसिंग, फलों और सब्जियों का वितरण आदि।
2. रेफ्रिजरेटेड वैन/कोल्ड चेन बुनियादी संरचना प्रणाली सहित परिवहन और साइलो, हर्मेटिक भंडारण जैसी तकनीकों सहित पैकेजिंग और भंडारण; कीट प्रबंधन।
3. कम तापमान पर भंडारण/कोल्ड स्टोरेज/संशोधित/नियंत्रित एटमोस्फियर पैकेजिंग, रेफ्रिजरेशन/चिलिंग आदि।
4. एफ एंड वी की प्राथमिक और/या न्यूनतम प्रसंस्करण: ब्लैचिंग (सब्जियां), छीलना, काटना, भंडारण, कम तापमान पर वितरण, वैक्यूम पैकेजिंग आदि।
5. धूप में सुखाना और यांत्रिक रूप से सुखाना: सौर ड्राइंग, गर्म हवा ड्राइंग, डिहाइड्रेशन, हाइब्रिड ड्राइंग, द्रवीकृत बेड ड्राइंग, रेफ्रेक्टिव विंडो ड्राइंग, ड्रम ड्राइंग, रेडियो आवृत्ति ड्राइंग, लाइओफिलाइजेशन (फ्रीज ड्राइंग), वैक्यूम ड्राइंग, स्प्रे ड्राइंग, डी-हाइड्रो-फ्रीजिंग आदि।
6. विभिन्न तरीकों के माध्यम से संरक्षण; पारंपरिक और आधुनिक दोनों।
7. फ्रोजेन उत्पाद: फलों, सब्जियों, मांस, मछली, समुद्री खाद्य पदार्थों आदि का अलग-अलग रूप से त्वरित फ्रोजेन (10एफ)।
8. दूध और दुग्ध उत्पाद प्रसंस्करण, उसके परिवहन, पैकेजिंग और भंडारण सहित।
9. फलों, मशरूम सहित सब्जियों, मांस, मछली, क्रस्टेशियन, मोलस्क, अन्य समुद्री खाद्य पदार्थ आदि की डिब्बाबंदी।
10. पिसाई अनाज, फली एंड दाल, उनके बाय-प्रोडक्ट्स जैसे चोकर तेल, कैटल फीड/पोल्ट्री फीड आदि की तैयारी।
11. विभिन्न उत्पादों जैसे कि रस, सारकृत द्रव्यों, सॉस, जाम, जेली, मुरब्बा, चिप्स, गुच्छे, पाउडर आदि में एफएंडवी का प्रसंस्करण।
12. अनाज और दलहन, मछली, मांस, पोल्ट्री, सी फूड्स, अंडा आदि का उनके विभिन्न उत्पादों में प्रसंस्करण जिसमें एक्सट्रूडेड, पॉप, पफेड और फ्लेक्ड उत्पाद शामिल हैं और उनके पैकेजिंग और भंडारण जिसमें धूमन, स्मोकिंग आदि समाहित हैं।
13. तेल बीज निकालना - प्रतिपादन, दबाव, हाइड्रोजनीकरण, निष्कर्षण के साथ शोधन, फिलिंग/पैकेजिंग आदि।



14. मसाले, सीजनिंग, कोंडीमेंट्स – पिसाई, पेराई, मिलिंग, सिविंग, मिश्रण, सम्मिश्रण, रोस्टिंग, पैकेजिंग, भंडारण, वितरण।
15. फरमेंटेड उत्पाद और अल्कोहलिक पदार्थों अर्थात वाइन, सिरका, दुग्ध उत्पादों, प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स आदि, का उत्पादन।
16. पेय पदार्थों का उत्पादन - रस, आरटीएस, नेक्टर, स्कैश, कॉर्डियल, सिरप/शर्बत, सूप, कार्बोनेटेड पेय पदार्थ आदि।
17. कोको, कॉफी, कासनी और चाय उत्पादों का उत्पादन; जिसमें कोको बटर, कोको पाउडर, चॉकलेट्स, वेफर्स आदि शामिल हैं।
18. बेकरी और कन्फेक्शनरी उत्पादों का उत्पादन - बिस्कुट, ब्रेड, केक, कुकीज़, टॉफी आदि।
19. गन्ने, चुकंदर, ताड़ आदि से गुड़, चीनी, खांडसारी आदि का उत्पादन।
20. मधुमक्षिकालय उत्पादों का उत्पादन (शहद प्रसंस्करण; प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों शहद)।
21. स्टार्च और स्टार्च उत्पादों का उत्पादन - साबूदाना, टैपिओका, मक्का, नूडल्स, मैक्रोनी, सेवंई आदि।
22. पशुओं/जुगाली करने वाले पशुओं/पक्षियों आदि की स्लोटिंग और उनका प्रसंस्करण।
23. नट्स प्रसंस्करण; नारियल आधारित उत्पाद प्रसंस्करण जैसे पानी, नट आदि।
24. अन्य उत्पादों जैसे कि इंस्टेंट मिक्स, रेडी टू ईट (आरटीई) रिटोर्ट-आधारित उत्पादों, पकाने के लिए तैयार और बेवरेज आदि का प्रसंस्करण।
25. न्यूट्रास्यूटिकल उत्पाद/कार्यात्मक खाद्य पदार्थ/फोर्टीफाइड फूड/समृद्ध भोजन तैयार करना।
26. जैविक खाद्य उत्पादों का उत्पादन।
27. शेल्फ जीवन के वर्धन और पैकेजिंग सहित शैवाल और फफूंदीय उत्पादों (जैसे स्पिरुलिना, मशरूम आदि) का प्रसंस्करण।
28. वृक्षारोपण फसलों का प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण और शेल्फ जीवन का वर्धन।
29. खाद्य ग्रेड पैकेजिंग सामग्री का उत्पादन जैसे लामिनेट्स, टेट्रा पैक, बोतलें, टिन कंटेनर आदि।



प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र – योजना

i) प्रयोजन : कमी के मामले में भरपाई के लिए लिखतों की खरीद के जरिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण संबंधी लक्ष्य और उप-लक्ष्यों को प्राप्त करने में बैंकों को सक्षम बनाते हुए और साथ ही अधिशेष वाले बैंकों को प्रोत्साहित करके प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों को दिए जाने वाले ऋणों में वृद्धि करना।

ii) लिखतों का स्वरूप : विक्रेता प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र की देयताओं की पूर्ति बेचेगा और क्रेता उसकी खरीद करेगा। इसमें जोखिम या ऋण आस्तियों का अंतरण नहीं होगा।

iii) तौर-तरीका : पीएसएलसी की ट्रेडिंग रिज़र्व बैंक के सीबीएस पोर्टल (ई-कुबेर) द्वारा किया जाएगा। लेनदेन करने के लिए विस्तृत परिचालनात्मक अनुदेश ई-कुबेर पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

iv) विक्रेता/ क्रेता : अनुसूचित वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक, लघु वित्त बैंक और शहरी सहकारी बैंक जिन्होंने बैंक द्वारा जारी ऐसे विनियमों के अधीन पीएसएल पात्र श्रेणी के ऋण दिए हैं।

v) पीएसएलसी के प्रकार : चार प्रकार के पीएसएलसी होंगे : -

i) पीएसएलसी कृषि : कुल कृषि उधार के लक्ष्य की प्राप्ति की गणना के लिए।

ii) पीएसएलसी एसएफ/ एमएफ : छोटे और सीमांत किसानों को दिए जाने वाले उधार के उप-लक्ष्य की प्राप्ति की गणना के लिए।

iii) पीएसएलसी सूक्ष्म उद्यम : सूक्ष्म उद्यमों को उधार के उप-लक्ष्य की प्राप्ति की गणना के लिए।

iv) पीएसएलसी सामान्य : प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र संबंधी समग्र लक्ष्य की प्राप्ति की गणना के लिए।

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार-लक्ष्य और वर्गीकरण पर दिनांक 24 मार्च 2025 के मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार-लक्ष्य और वर्गीकरण) निदेश, 2025 में किए गए वर्णन के अनुसार प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र में कृषि और सूक्ष्म उद्यमों सहित कई श्रेणियां समाविष्ट होती हैं। बैंकों से अपेक्षित है कि वे कृषि और सूक्ष्म उद्यमों को उधार देने के समग्र लक्ष्य और क्षेत्रगत लक्ष्य के अलावा छोटे और सीमांत किसानों को उधार देने का विनिर्दिष्ट उप-लक्ष्य प्राप्त करें। तदनुसार पीएसएल लक्ष्यों की प्राप्ति/ कमी का आकलन करने में गणनात्मक समस्याओं से बचने के लिए यह सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त चार प्रकार के प्रमाणपत्र विशिष्ट ऋणों का प्रतिनिधित्व करेंगे और उनकी गणना नीचे दर्शाए गए अनुसार विशिष्ट उप-लक्ष्य/ लक्ष्य के लिए की जाएगी।



क्र.सं.	पीएसएलसी का प्रकार	प्रतिनिधित्व	की गणना के लिए
1	पीएसएलसी- कृषि	एसएफ/ एमएफ को दिए जाने वाले ऋणों, जिनके लिए अलग प्रमाणपत्र उपलब्ध हैं, को छोड़कर सभी पात्र कृषि ऋण	कृषि संबंधी लक्ष्य और पीएसएल के समग्र लक्ष्य की प्राप्ति
2	पीएसएलसी- एसएफ/ एमएफ	छोटे/ सीमांत किसानों को दिए जाने वाले सभी पात्र ऋण	एसएफ/ एमएफ उप-लक्ष्य, कमज़ोर वर्गों संबंधी उप-लक्ष्य, एनसीएफ उप-लक्ष्य, कृषि संबंधी लक्ष्य और पीएसएल के समग्र लक्ष्य की प्राप्ति
3	पीएसएलसी- सूक्ष्म उद्यम	सूक्ष्म उद्यमों को दिए जाने वाले सभी पीएसएल ऋण	सूक्ष्म उद्यम संबंधी उप-लक्ष्य और पीएसएल के समग्र लक्ष्य की प्राप्ति
4	पीएसएलसी- सामान्य	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अवशिष्ट ऋण अर्थात् कृषि और सूक्ष्म उद्यमों को दिए जाने वाले ऋणों को छोड़कर अन्य ऐसे ऋण, जिनके लिए अलग प्रमाणपत्र उपलब्ध हैं।	पीएसएल के समग्र लक्ष्य की प्राप्ति

इस प्रकार, किसी उप-लक्ष्य (अर्थात् एसएफ/ एमएफ, सूक्ष्म) की प्राप्ति में कमी वाले बैंक को लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विशिष्ट पीएसएलसी खरीदना होगा। तथापि, केवल समग्र लक्ष्य की प्राप्ति में कमी वाला बैंक, उसके लिए यथा लागू कोई भी उपलब्ध पीएसएलसी खरीद सकेगा।

vi) पीएसएल लक्ष्य-प्राप्ति की गणना : बैंक की पीएसएल लक्ष्य-प्राप्ति की गणना बकाया प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋणों और जारी किए गए तथा खरीदे गए पीएसएलसी के निवल सांकेतिक मूल्य के जोड़ के रूप में की जाएगी। जहां रिपोर्टिंग की तारीख की स्थिति के अनुसार उप-लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं वहां ऐसी गणना अलग-अलग रूप में की जाएगी।

vii) जारी करने के लिए पात्र राशि : सामान्यतया अंतर्निहित आस्तियों के आधार पर पीएसएलसी जारी किया जाएगा। तथापि, पीएसएलसी के लिए मजबूत और सक्रिय (वाइब्रंट) बाजार विकसित करने के उद्देश्य से बैंकों को अपनी बहियों में अंतर्निहित किए बिना पिछले वर्ष के पीएसएल की प्राप्ति के 50 प्रतिशत तक पीएसएलसी जारी



करने की अनुमति है। परंतु रिपोर्टिंग तारीख को बैंक को बकाया प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण पोर्टफोलियो और जारी तथा खरीदे गए निवल पीएसएलसी के जोड़ के माध्यम से प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। बैंकों के लिए आवश्यक होगा कि वे अब तक की तरह लक्ष्य की प्राप्ति में कमी की सीमा तक आरआईडीएफ/ अन्य निधियों में निवेश करें।

viii) ऋण जोखिम : इसमें मूल्य आस्तियों या नकदी प्रवाह का अंतरण न होने के कारण अंतर्निहित ऋण जोखिम का अंतरण नहीं होगा।

ix) समाप्ति की तारीख : सभी पीएसएलसी 31 मार्च को समाप्त होंगे और रिपोर्टिंग की तारीख (31 मार्च) के बाद वैध नहीं होंगे, चाहे उसे पहले बेचने की तारीख कुछ भी हो।

x) निपटान : निधियों का निपटान ई-कुबेर पोर्टल में स्पष्ट किए गए अनुसार प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा।

xi) मूल्य और शुल्क : पीएसएलसी का सांकेतिक मूल्य पीएसएल के समकक्ष होगा जिसे विक्रेता के पीएसएल पोर्टफोलियो से घटाया जाएगा और क्रेता के पीएसएल पोर्टफोलियो में जोड़ा जाएगा। क्रेता विक्रेता को ऐसे शुल्क की अदायगी करेगा जिसका निर्धारण बाजार द्वारा किया जाएगा।

xii) लॉट का आकार : पीएसएलसी के मानक लॉट आकार ₹ 25 लाख और उसके गुणजों में होगा।

xiii) लेखांकन : पीएसएलसी की खरीद के लिए अदा किए गए शुल्क को 'व्यय' के रूप में माना जाएगा और पीएसएलसी की बिक्री से प्राप्त शुल्क को 'विविध आय' के रूप में माना जाएगा।

xiv) प्रकटीकरण : विक्रेता और क्रेता दोनों को वर्ष के दौरान बेचे और खरीदे गए पीएसएलसी (श्रेणी-वार) की राशि की रिपोर्टिंग 'तुलन पत्र प्रकटीकरण' में करनी होगी।

उदाहरण :

1. बैंक ए 15 जुलाई 2016 को बैंक बी को ₹ 100 करोड़ के सांकेतिक मूल्य के पीएसएलसी बेच सकता है। रिपोर्टिंग तारीख 30 सितंबर 2026, 31 दिसंबर 2025 और 31 मार्च 2026 को बैंक बी ₹ 100 करोड़ की गणना अपनी प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र की प्राप्ति के रूप में करेगा। जबकि बैंक ए संबंधित रिपोर्टिंग तारीखों को अपनी लक्ष्य-प्राप्ति के आंकड़ों से उसे घटाएगा। पीएसएलसी 31 मार्च 2026 को समाप्त होगा।
2. बैंक सी 30 मार्च 2026 को बैंक डी से ₹ 100 करोड़ के पीएसएलसी खरीद सकता है। बैंक डी 31 मार्च 2026 को अपनी पीएसएल रिपोर्टिंग से ₹ 100 करोड़ घटाएगा। जबकि बैंक सी उसकी गणना अपनी लक्ष्य-प्राप्ति के रूप में करेगा। पीएसएलसी 31 मार्च 2026 को समाप्त होगा।



कोविड-19 उपाय - पीएसएल का निरूपण

कोविड-19 से संबंधित व्यवधानों के वित्तीय प्रभाव को कम करने के लिए, आरबीआई ने जरूरतमंद वर्गों को ऋण प्रवाह को आसान बनाने के लिए कई नीतिगत उपाय किए थे। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र वर्गीकरण नीचे निर्दिष्ट उपायों के अंतर्गत दिए गए बकाया ऋण के लिए उपलब्ध होगा:

- (i) [7 मई 2021 की प्रेस विज्ञप्ति: 2021-2022/177](#) के अनुसार, देश में कोविड से संबंधित स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे और सेवाओं को बढ़ाने के लिए तत्काल तरलता के प्रावधान को बढ़ावा देने हेतु 31 मार्च 2022 तक रेपो दर पर तीन साल तक की अवधि के साथ ₹50,000 करोड़ की ऑन-टैप चलनिधि विंडो खोली गई थी। इस योजना के तहत बैंकों से कोविड ऋण पुस्तिका बनाने की अपेक्षा की गई थी। बैंकों को सूचित किया गया कि वे ये ऋण उधारकर्ताओं को सीधे या आरबीआई द्वारा विनियमित मध्यस्थ वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से प्रदान करें। ये ऋण पुनर्भुगतान या परिपक्वता तक, जो भी पहले हो, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार के रूप में वर्गीकृत किए जाएंगे। जिन बैंकों ने उपर्युक्त निर्दिष्ट खंडों को ऋण देने के लिए योजना के अंतर्गत आरबीआई से धनराशि प्राप्त किए बिना अपने स्वयं के संसाधनों का उपयोग किया है, वे भी उपर्युक्त निर्धारित प्रोत्साहनों के लिए पात्र हैं।
- (ii) [दिनांक 4 जून 2021 की प्रेस विज्ञप्ति: 2021-2022/323](#) के अनुसार, कुछ गहन-संपर्क क्षेत्रों अर्थात् होटल और रेस्तरां; पर्यटन - ट्रेवल एजेंट, टूर ऑपरेटर और साहसिक/ धरोहर संबंधी सुविधाएं; विमानन सहायक सेवाएं - ग्राउंड हैंडलिंग और आपूर्ति श्रृंखला; और अन्य सेवाएं जिनमें निजी बस ऑपरेटर, कार मरम्मत सेवाएं, किराए पर कार सेवा प्रदाता, कार्यक्रम/सम्मेलन आयोजक, स्पा क्लिनिक और ब्यूटी पार्लर/सैलून शामिल हैं, के लिए 31 मार्च 2022 तक रेपो दर पर तीन वर्ष तक की अवधि के साथ ₹15,000 करोड़ की एक अलग चलनिधि विंडो खोली गई थी। बैंकों से अपेक्षा की गई थी कि वे इस योजना के तहत एक अलग 'कोविड' ऋण पुस्तिका तैयार करेंगे। उपर्युक्त निर्दिष्ट खंडों को ऋण देने की योजना के अंतर्गत आरबीआई से धनराशि प्राप्त किए बिना अपने स्वयं के संसाधनों का उपयोग करने के इच्छुक बैंक भी इस प्रोत्साहन के लिए पात्र थे।



अनुबंध - V

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्य की उपलब्धि - कमी/अधिकता की गणना

उदाहरण :

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार पर संशोधित दिशानिर्देशों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष के अंत में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्य की उपलब्धि - कमी/अधिकता की गणना के लिए अपनाई जानेवाली पद्धति का उदाहरण सारणी संख्या 1 और 2 में प्रस्तुत है।

(सारणी 1)				
				राशि ₹ करोड़ में
समाप्त तिमाही	पीएसएल लक्ष्य (क)	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र - बकाया राशि (ख)	एमडी के पैरा 8 के अनुसार पहचान किए गए जिलों को वृद्धिशील क्रेडिट पर भारांक के लिए समायोजन (ग)	कमी/अधिकता (ख) + (ग) - (क)
जून	329615	316938	1625	-11052
सितंबर	308826	311945	-810	2309
दिसंबर	317694	319291	-819	778
मार्च	324560	321347	2925	-288
कुल	1280695	1269521	2921	-8253
औसत	320174	317380	730	-2063

(सारणी 2)				
				राशि ₹ करोड़ में
समाप्त तिमाही	पीएसएल लक्ष्य (क)	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र - बकाया राशि (ख)	एमडी के पैरा 8 के अनुसार पहचान किए गए जिलों को वृद्धिशील क्रेडिट पर भारांक के लिए समायोजन (ग)	कमी/अधिकता (ख) + (ग) - (क)
जून	329615	327967	1500	-148
सितंबर	308826	312378	-729	2823
दिसंबर	317694	327225	975	10506
मार्च	324560	321315	-765	-4010
कुल	1280695	1288885	981	9171
औसत	320174	322221	245	2293

सारणी - 1 में दिए गए उदाहरण में वित्त वर्ष के अंत में बैंक में समग्र कमी ₹2063 करोड़ की है। सारणी - 2 में वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक में समग्र अधिकता ₹2293 करोड़ की है।

पैरा 8 के अनुसार चिह्नित जिलों में वृद्धिशील ऋण पर भारांक के कारण समायोजन, स्वचालित डाटा निष्कर्षण परियोजना (एडीईपीटी) में बैंकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार होगा।



प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के उप-लक्ष्यों की तिमाही और वार्षिक उपलब्धि की गणना के लिए इसी पद्धति का पालन किया जाएगा।

नोट: प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्य/उप-लक्ष्य की उपलब्धि की गणना, एएनबीसी अथवा तुलन-पत्र से इतर एक्सपोजर के सममूल्य राशि का ऋण, इनमें से पूर्ववर्ती वर्ष की तदनुरूपी तारीख को जो भी अधिक हो, के आधार पर की जाएगी।



समेकित परिपत्रों की सूची

क्र. सं. #	परिपत्र सं.	दिनांक	विषय
1.	विसविवि.केंका.पीएसडी.बीसी.सं.11/04.09.001/2025-26	19 जनवरी 2026	भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार) (संशोधन) निदेश, 2025
2.	विसविवि.केंका.पीएसडी.बीसी.सं.12/04.09.001/2024-25	24 मार्च 2025	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार प्रमाणपत्र
3.	विवि.केंका.सीआरई.आरईसी.बीसी.सं.69/07.10.002/2024-25	24 मार्च 2025	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) लक्ष्य की समीक्षा - शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी)
4.	विसविवि.केंका.पीएसडी.बीसी.सं.7/04.09.001/2024-25	21 जून 2024	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार - मास्टर निदेशों में संशोधन
5.	विवि.सीआरई.आरईसी.18/07.10.002/2023-24	08 जून 2023	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) संबंधी लक्ष्य / उप-लक्ष्य और पीएसएल लक्ष्यों को प्राप्त करने में कमी के प्रति अंशदान - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) - समयावधि में विस्तार
6.	केंका.विसविवि.पीसीडी.सं.एस725/04.09.001/2022-23	11 अगस्त 2022	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल)- गैर-कारपोरेट किसानों के लिए लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2022-23
7.	विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.5/04.09.01/2022-23	13 मई 2022	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को आगे-उधार देने के उद्देश्य से वाणिज्यिक बैंकों द्वारा एनबीएफसी और लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) द्वारा एनबीएफसी-एमएफआई को उधार



8.	विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.15/04.09.01/2021-22	08 अक्टूबर 2021	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार - एनबीएफसी को आगे-उधार दिए जाने हेतु बैंक ऋण - सुविधा का विस्तार
9.	केंका.विसविवि.प्लान.सं.एस 414/04-09-001/2021-22	17 अगस्त 2021	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार : गैर कॉर्पोरेट किसानों के लिए लक्ष्य - वित्तीय वर्ष 2021-22
10.	विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.10/04.09.01/2021-22	5 मई 2021	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) - लघु वित्त बैंक (एसएफबी) द्वारा एनबीएफसी - एमएफआई को आगे-उधार दिये जाने हेतु ऋण
11.	विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.7/04.09.01/2021-22	07 अप्रैल 2021	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) - परक्राम्य माल-गोदाम रसीद (एनडब्ल्यूआर) / इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य माल-गोदाम रसीद (ई-एनडब्ल्यूआर) के बदले बैंक द्वारा उधार दिये जाने हेतु सीमा में वृद्धि
12.	विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.8/04.09.01/2021-22	07 अप्रैल 2021	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) - आगे-उधार दिए जाने हेतु एनबीएफसी को बैंकों द्वारा ऋण
13.	केंका.विसविवि.प्लान.सं.स7850/04-09-001/2020-21	16 फरवरी 2021	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) - प्रतिभूतिकृत आस्तियों /सीधे एसाइनमेंट में बैंकों द्वारा निवेश पर ब्याज की सीमा
14.	केंका.विसविवि.प्लान.सं.स7519/04-09-001/2020-21	15 फरवरी 2021	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक -इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट जारी करना



15.	विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.8/04.09.01/2020-21	05 नवंबर 2020	बैंकों और एनबीएफसी द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को सह-उधार
16.	डीओआर(पीसीबी).बीपीडी.परि.सं.12/09.09.002/2019-20	24 अप्रैल 2020	प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (शसबैं) द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी लक्ष्य की प्राप्ति में चूक – ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) और अन्य निधियों में अंशदान
17.	विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.19/04.09.01/2019-20	23 मार्च 2020	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी लक्ष्य – आगे-उधार दिए जाने हेतु एनबीएफसी को बैंकों द्वारा ऋण
18.	विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.12/04.09.01/2019-20	20 सितंबर 2019	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) – प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत निर्यात का वर्गीकरण
19.	विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.11/04.09.01/2019-20	19 सितंबर 2019	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र संबंधी लक्ष्य : गैर कॉर्पोरेट किसानों को उधार – वित्तीय वर्ष 2019-20
20.	विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.7/04.09.01/2019-20	13 अगस्त 2019	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – आगे-उधार दिए जाने हेतु एनबीएफसी को बैंकों द्वारा ऋण
21.	मास्टर निदेश विसविवि.केंका.प्लान.बीसी सं.08/04.09.01/2019-20	29 जुलाई 2019 (12 मार्च 2020 तक अद्यतन)	मास्टर निदेश – प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लघु वित्त बैंक - लक्ष्य और वर्गीकरण
22.	विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.18/04.09.01/2018-19	06 मई 2019	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण
23.	भारतीय बैंकों के संघ को पत्र सं. विसविवि.केंका.प्लान.772/04.09.001/2018-19	04 अक्टूबर 2018	समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जारी किए गए विशेष जीओआई प्रतिभूतियों की छूट



24.	विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.08/04.09.01/2018-19	21 सितंबर 2018	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के लिए बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा ऋण की सह-उत्पत्ति (को-ओरिजिनेशन)
25.	विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.07/04.09.01/2018-19	12 जुलाई 2018	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण : गैर कॉर्पोरेट किसानों को उधार – पिछले तीन वर्षों का प्रणालीगत औसत
26.	विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.22/04.09.01/2017-18	19 जून 2018	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण
27.	डीसीबीआर.बीपीडी(पीसीबी).परि.सं.07/09.09.002/2017-18	10 मई 2018	प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने से संबंधित संशोधित दिशानिर्देश
28.	विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.18/04.09.01/2017-18	1 मार्च 2018	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण
29.	विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.16/04.09.01/2017-18	21 सितंबर 2017	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण : गैर कॉर्पोरेट किसानों को उधार – पिछले तीन वर्षों का प्रणालीगत औसत
30.	विसविवि.केंका.एसएफबी.सं.9/04.09.001/2017-18	6 जुलाई 2017	लघु वित्त बैंक – वित्तीय समावेशन और विकास पर दिशानिर्देशों का संग्रह
31.	विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.17/04.09.001/2016-17	6 अक्टूबर 2016	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – संशोधित रिपोर्टिंग प्रणाली
32.	बैविवि.एनबीडी.सं.26/16.13.218/2016-17	6 अक्टूबर 2016	लघु वित्त बैंकों के लिए परिचालनगत दिशानिर्देश
33.	मास्टर निदेश गैबैविवि.पीडी.007 और 008/03.10.119/2016-17	01 सितंबर, 2016 (17 फरवरी 2020 को अद्यतन)	क्रमशः मास्टर निदेश 2016 - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से गैर-महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली कंपनी,



			और प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली कंपनी एवं जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी
34.	विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.14/04.09.01/2016-17	1 सितंबर 2016	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण : गैर कॉर्पोरेट किसानों को उधार – पिछले तीन वर्षों का प्रणालीगत औसत
35.	विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.10/04.09.001/2016-17	11 अगस्त 2016	फैक्टरिंग लेनदेन के लिए प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार की स्थिति
36.	विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.8/04.09.001/2016-17	28 जुलाई 2016	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण- सूक्ष्म (सूक्ष्म) वित्त संस्थानों (एमएफआई) को आगे-उधार दिए जाने हेतु बैंक ऋण- अर्हक आस्तियां- संशोधित ऋण सीमा
37.	मास्टर निदेश विसविवि.केंका.प्लान.2/04.09.01/2016-17	7 जुलाई 2016 (18 जून 2019 को अद्यतन)	मास्टर निदेश – क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण
38.	विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.23/04.09.01/2015-16	07 अप्रैल 2016	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र
39.	डीबीओडी मेलबॉक्स स्पष्टीकरण	28 मार्च 2016	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के तहत स्वामित्व के लिए बैंक ऋण
40.	डीबीओडी मेलबॉक्स स्पष्टीकरण	17 मार्च 2016	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र आस्ति के रूप में आईबीपीसी की पात्रता
41.	विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.14/04.09.01/2015-16	03 दिसंबर 2015	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण
42.	डीबीओडी मेलबॉक्स स्पष्टीकरण	27 नवंबर 2015	एसएचजी/जेएलजी को बैंक ऋण - प्रसंस्करण प्रभार



43.	विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.13/04.09.01/2015-16	18 नवंबर 2015	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण
44.	डीबीओडी मेलबॉक्स स्पष्टीकरण	7 सितंबर 2015	कमी/अधिकता की गणना
45.	डीबीओडी मेलबॉक्स स्पष्टीकरण	14 अगस्त 2015	सामाजिक बुनियादी संरचना और आगे-उधार दिए जाने हेतु एमएफआई को बैंक ऋण - सामाजिक बुनियादी संरचना
46.	विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.08/04.09.01/2015-16	16 जुलाई 2015	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण
47.	डीबीओडी मेलबॉक्स स्पष्टीकरण	26 जून 2015	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र में कमी के कारण मुद्रा लिमिटेड के साथ बकाया जमा
48.	डीबीओडी मेलबॉक्स स्पष्टीकरण	12 जून 2015	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण
49.	डीबीओडी मेलबॉक्स स्पष्टीकरण	11 जून 2015	कस्टम सेवा इकाइयों को ऋण
50.	विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.54/04.09.01/2014-15	23 अप्रैल 2015	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण
51.	डीसीबीआर.बीपीडी(पीसीबी)परि सं.7/14.01.062/2014-15	19 मार्च 2015	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार – निःशक्त व्यक्ति (पीडबल्यूडी) - कमजोर वर्ग के अंतर्गत शामिल किया जाना
52.	डीसीबीआर.बीपीडी(पीसीबी)परि सं.5/14.01.062/2014-15	18 फरवरी 2015	अल्पसंख्यक समुदायों के लिए क्रेडिट सुविधाएँ – अल्पसंख्यकों के राष्ट्रीय आयोग (एनसीएम) अधिनियम, 1992 की धारा 2(सी) के तहत जैन समुदाय को शामिल किया जाना
53.	शबैवि.केंका.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं.72/13.01.000/2013-14	11 जून 2014	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 18 और 24 – एफसीएनआर (बी)/एनआरआई



			जमाराशियां – सीआरआर/एसएलआर बनाए रखने से छूट तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लक्ष्यों की गणना के लिए एबीसी में शामिल न करना
54.	शबैवि.केंका.बीपीडी(पीसीबी).परि.सं.13/09.2.010/2013-14	10 सितंबर 2013	आवास योजनाओं के लिए वित्त - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक – मरम्मत/परिवर्धन/फेरबदल के लिए ऋण – सीमाओं को बढ़ाना
55.	शबैवि.केंका.बीपीडी(पीसीबी).परि.सं.5/13.01.000/2013-14	27 अगस्त 2013	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 18 और 24 – एफसीएनआर (बी)/एनआरई जमाराशियां – सीआरआर/एसएलआर बनाए रखने से छूट तथा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को प्रदान किए गए ऋण को एबीसी में शामिल न करना
56.	शबैवि.केंका.बीपीडी(पीसीबी).परि.सं.33/09.09.001/2011-12	18 मई 2012	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण – आवास क्षेत्र को अप्रत्यक्ष वित्त
57.	शबैवि.केंका.बीपीडी(पीसीबी).परि.सं.50/13.05.000(बी)/2010-11	2 जून 2011	प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा स्वयं सहायता समूह और संयुक्त देयता समूह को वित्तपोषण
58.	शबैवि.केंका.बीपीडी.सं.70/09.09.001/2009-10	15 जून 2010	कृषि और संबद्ध कार्यकलापों को निर्यात और निर्यात क्रेडिट देने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों को अग्रिम
59.	शबैवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं.50/09.09.01/2009-10	25 मार्च 2010	सेवाओं के तहत गतिविधियों का वर्गीकरण
60.	शबैवि(पीसीबी)परि.सं.26/09.09.001/07-08	30 नवंबर 2007	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार - लक्ष्य में संशोधन – यूसीबी



61.	शबैवि.(पीसीबी).परि.सं.11/09.09.01/07-08	30 अगस्त 2007	यूसीबी के लिए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार पर संशोधित दिशा निर्देश
62.	शबैवि.(पीसीबी).परि.सं.11(126ए)/09.09.001/2007-08	30 अगस्त 2007	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिम-अल्पसंख्यक सघन जिलों की सूची

~*~*~*~*~*~*~